



उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024-2025 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

फरवरी, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024-2025 के
आय-व्ययक में
सम्मिलित
व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय-व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय-व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्कूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्कूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

	(₹ लाख में)
क- राजस्व लेखा	520473.38
ख- पूंजी लेखा	1965883.59
कुल योग :	<u>2486356.97</u>

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				योग
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	
002	आवास विभाग	...	4000.00	...	4000.00	
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	100000.00	100000.00	
005	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	90.00	90.00	
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	41150.00	35000.00	...	76150.00	
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	49729.00	50000.00	...	99729.00	
008	उद्योग विभाग (सुदृण तथा लेखन सामग्री)	...	2000.00	...	2000.00	
009	ऊर्जा विभाग	...	32717.30	...	32717.30	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	46362.20	18320.00	...	64682.20	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	6536.97	7719.23	...	14256.20	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	450.00	12180.00	...	12630.00	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	358.62	1380.64	...	1739.26	
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	100.00	27750.00	...	27850.00	
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2616.00	520.00	...	3136.00	
021	खाद्य तथा रसद विभाग	81.78	81.78	
022	खेल विभाग	300.00	1650.00	...	1950.00	
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	144007.00	144007.00	
026	गृह विभाग (पुलिस)	...	2564.00	...	2564.00	
028	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	...	500.00	...	500.00	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2500.00	77500.00	...	80000.00	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	...	7535.44	...	7535.44	
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	105.60	820.00	...	925.60	
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	470.47	470.47	
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	17655.60	17655.60	
037	नगर विकास विभाग	130000.00	130000.00	
040	नियोजन विभाग	1427.61	230000.00	...	231427.61	
043	परिवहन विभाग	300.00	50000.00	...	50300.00	
044	पर्यटन विभाग	900.00	35500.00	...	36400.00	
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	...	69.20	...	69.20	

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)			योग
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	50.00	3064.40	...	3114.40
053	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.50	1.50
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	5806.60	...	5806.60
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	153640.00	...	153640.00
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	10000.00	382400.00	...	392400.00
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	...	42000.00	...	42000.00
060	वन विभाग	1095.28	1535.73	...	2631.01
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	...	25.00	...	25.00
067	विधान परिषद् सचिवालय	...	1152.06	...	1152.06
068	विधान सभा सचिवालय	3.00	1525.00	...	1528.00
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	53525.00	28500.00	...	82025.00
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	500.00	500.00
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	100.00	100.00
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	400.00	12546.00	...	12946.00
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	980.00	500.00	...	1480.00
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	...	3500.00	...	3500.00
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	54.00	1000.00	...	1054.00
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	31100.00	20.00	...	31120.00
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	...	1400.00	...	1400.00
080	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	500.00	500.00
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	130.28	2505.66	...	2635.94
082	सतर्कता विभाग	...	500.00	...	500.00
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	...	132073.99	...	132073.99
084	सामान्य प्रशासन विभाग	510.00	17200.00	...	17710.00
089	राज्य कर विभाग	...	6035.00	...	6035.00
092	संस्कृति विभाग	12754.46	3300.00	...	16054.46

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)				योग
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग	
			पूँजीगत	ऋण		
1	2	3	4	5	6	
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	...	82800.00	...	82800.00	
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	6166.71	341121.34	...	347288.05	
095	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	1469.30	1469.30	
कुलयोग		520473.38	1821876.59	144007.00	2486356.97	

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
002	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	1-एकीकृत मण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण	4000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	4000.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	4000.00
003	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MUKHYAMANTRI-YUVA) योजना	100000.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	100000.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	100000.00
005	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र, प्रयागराज में कार्मिकों हेतु आवास एवं ई.टी.पी. यूनिट निर्माण	70.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर में स्टॉक स्टोर का निर्माण	20.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	90.00
		अनुदान संख्या 005 का योग	90.00
006	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना	40000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	2-पी.एम. मित्र पार्क के संचालन से संबंधित अन्य अतिरिक्त विविध व्यय	1000.00
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	3-राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजना	150.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	41150.00
	4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	4-जनपद बाराणसी में निफ्ट की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था	15000.00
	4851-ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	5-पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना	20000.00
		लेखा शीर्ष 4851 का योग	35000.00
		अनुदान संख्या 006 का योग	76150.00
007	2202-सामान्य शिक्षा	1-गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर के भवनों की मरम्मत / रख-रखाव एवं आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान	10000.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	10000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
2852-उद्योग		2-उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022	1.00
2852-उद्योग		3-उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021	6727.00
2852-उद्योग		4-उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022	1.00
2852-उद्योग		5-उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन	5000.00
2852-उद्योग		6-ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी	2000.00
2852-उद्योग		7-फर्रैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023	25000.00
2852-उद्योग		8-मोटो जीपी कार्यक्रम वर्ष 2024-2025	1000.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	39729.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		9- नये लिंक एक्सप्रेसवे (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु) परियोजना विकसित किये जाने हेतु	50000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	50000.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	99729.00
008	4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	1-राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ में एक नवीन मॉडर्न प्रेस की स्थापना	2000.00
		लेखा शीर्ष 4058 का योग	2000.00
		अनुदान संख्या 008 का योग	2000.00
009	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-1x660 मेगावॉट हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना	10209.30
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-2x500 मेगावॉट अनपरा 'द' तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना	2508.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-मेसर्स एन.टी.पी.सी लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा 2x800 मेगावॉट अनपरा 'ई' तापीय परियोजना की स्थापना हेतु अंशपूंजी	5000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-मेसर्स एन.टी.पी.सी लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा 2x800 मेगावॉट ओबरा 'द' तापीय परियोजना की	5000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		स्थापना हेतु अंशपूजी	
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		5-रिविम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूजी	6000.00
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		6-रिविम्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु राज्यांश के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूजी	4000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	32717.30
		अनुदान संख्या 009 का योग	32717.30
011	2401-फसल कृषि कर्म	1-कृषि विभाग में बॉडी शापिंग के आधार पर रखे गये कार्मिकों का भुगतान	445.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2-त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	2737.20
	2401-फसल कृषि कर्म	3-मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना	5000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	4-यू.पी. एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड सरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेनथेनिंग (यूपी एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)	20000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	5-राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत क्षमता एवं कौशल विकास द्वारा उत्पादन वृद्धि की योजनाएं	10000.00
	2401-फसल कृषि कर्म	6-विन्ड्स कार्यक्रम (Weather Information Network Data System-WIND)	6000.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	44182.20
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	7-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस गोण्डा के कार्मिकों का वेतन भुगतान	550.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	8-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर के विभागों में ई - फाइलिंग सिस्टम लागू किया जाना	250.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	9-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बकाया गृहकर, जलकर, सीवर - कर एवं जल मूल्य का भुगतान	250.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	10- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित ऑडिटोरियम (कैलास भवन) की कुर्सियों को बदलवाने तथा अन्य मरम्मत कार्य	80.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		11-बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00
2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा		12-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में संचालित महाविद्यालयों हेतु फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब इक्यूपमेंट की व्यवस्था	500.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	1680.00
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम		13-उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति – 2019 का क्रियान्वयन	500.00
		लेखा शीर्ष 2435 का योग	500.00
4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		14-राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत पूंजीगत अवस्थापना एवं परिसम्पत्तियों के सृजन की योजनायें	10000.00
		लेखा शीर्ष 4401 का योग	10000.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		15- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का निर्माण	150.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		16-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना	150.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		17-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में ऑडिटोरियम का निर्माण	1000.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		18-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में निर्मित अमरावती छात्रावास में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	50.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		19-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में राप्ती छात्रावास में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	40.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		20-कृषि विश्वविद्यालयों में आर्गेनिक टेस्टिंग लैब की स्थापना	900.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		21-कृषि विश्वविद्यालयों में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	900.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		22-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की हेरिटेज इमारत का संरक्षण एवं सुदृढीकरण	500.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		23-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में विद्युत वायरिंग का	100.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना	
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		24-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में सी.सी रोड का निर्माण	350.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		25-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में छात्रावास निर्माण	700.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		26-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय निर्माण	100.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		27-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित कृषि संग्रहालय की आर.सी.सी छत का निर्माण	30.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		28-बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इटावा के परिसर में ऑन - ग्रिड सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	30.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		29-बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण	1000.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		30-बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में छात्रावास का निर्माण	900.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		31-बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण	40.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		32-मत्स्य महाविद्यालय, इटावा में रूफ टॉप ऑन - ग्रिड सोलर पैनल की स्थापना	10.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		33-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मुख्यालय परिसर तथा चिरौड़ी प्रक्षेत्र की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	225.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		34-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर सोलर फोटोवोल्टइक सिस्टम की स्थापना	150.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		35-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सीवर लाइन का व्यापक मरम्मत कार्य	75.00
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय		36-सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ऑडिटोरियम की स्थापना	920.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	8320.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 011 का योग	64682.20
013	3054-सड़क तथा सेतु	1-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिसर्फेसिंग / पीरियाडिक रिन्यूवल कार्यों का अनुरक्षण	6536.97
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	6536.97
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		2-जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	4630.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		3-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में सोलर प्लाण्ट की स्थापना	61.23
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		4-पं. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में छात्रावास का निर्माण	950.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		5-प्रदेश के 17 क्षेत्रीय एवं 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान में सोलर प्लाण्ट की स्थापना	842.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		6-प्रदेश के 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	736.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	7219.23
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय		7-जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय भवन	500.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 013 का योग	14256.20
014	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-युवाओं की व्यापक सहभागिता हेतु नवीन तकनीक का प्रयोग कर युवाओं को जागरूक बनाने हेतु आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों का संचालन	100.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	100.00
2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		2-जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में ई - एम.बी., ई - बिल कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित कर लागू किया जाना	350.00
		लेखा शीर्ष 2515 का योग	350.00
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		3-प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर का निर्माण	10000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	10000.00
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		4-पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण तथा विद्युतीकरण	2180.00
		लेखा शीर्ष 4515 का योग	2180.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	12630.00
015	2403-पशु पालन	1-जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	284.52
	2403-पशु पालन	2-प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनेबल्ड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	74.10
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	358.62
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	3-ई.एस.वी.एच.डी. - मोबाइल वेटेरनरी यूनिट अन्तर्गत क्रायोकेन उपलब्ध कराया जाना	230.36
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद स्तर पर कृत्रिम पशु गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु तरल नत्रजन की उपलब्धता के लिए क्रायोवैसल की स्थापना	934.80
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	5- जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	215.48
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	1380.64
		अनुदान संख्या 015 का योग	1739.26
017	2405-मछली पालन	1-सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना	100.00
		लेखा शीर्ष 2405 का योग	100.00
	4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	2-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क योजना	19000.00
	4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण	8750.00
		लेखा शीर्ष 4405 का योग	27750.00
		अनुदान संख्या 017 का योग	27850.00
018	2425-सहकारिता	1-अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के नवीन गोदामों का निर्माण	100.00
	2425-सहकारिता	2-आई.सी.सी.एम.आर.टी की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण	200.00
	2425-सहकारिता	3-प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी	100.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		समिति (बी - पैक्स) का उन्नयन	
2425-सहकारिता		4-राज्य की ग्रामीण महिलाओं हेतु विशिष्ट ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम	100.00
2425-सहकारिता		5-सहकार से समृद्धि योजना	116.00
2425-सहकारिता		6-सहकार से समृद्धि योजना का संचालन	1000.00
2425-सहकारिता		7-सहकारिता विभाग की संग्रह योजना हेतु राज्य सहायता	1000.00
		लेखा शीर्ष 2425 का योग	2616.00
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		8- विभागीय सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बी – पैक्स भवनों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना	500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	500.00
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय		9-राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशकों के क्रय हेतु शेयर मनी प्राप्त करना	20.00
		लेखा शीर्ष 4425 का योग	20.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	3136.00
021 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें		1-विधिक माप विज्ञान विभाग में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन	81.78
		लेखा शीर्ष 3475 का योग	81.78
		अनुदान संख्या 021 का योग	81.78
022 2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें		1-प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गठित पी.एम.यू.	300.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	300.00
4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		2-जनपद शाहजहाँपुर में खेल अवस्थापनाओं का विकास	450.00
4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		3-स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेंट सेन्टर की स्थापना	1200.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1650.00
		अनुदान संख्या 022 का योग	1950.00
024 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		1-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु रिवाल्विंग	25000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		फण्ड	
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		2-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना	10000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		3-उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी की स्थापना	10000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		4-उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	60000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		5-उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		6-उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		7-उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता	2500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		8-किसान सहकारी चीनी मिल लि., पूनपुर, जिला पीलीभीत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		9-किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	6500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		10-किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता	6500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		11-दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा, जिला बरेली की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता	6500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		12-दि किसान सहकारी चीनी मिल साथा, जिला अलीगढ़ के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्य हेतु वित्तीय सहायता	1.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		13-दि किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		14-रूण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु	500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		15-रूद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर जिला-रामपुर की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन	6500.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		16-सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु	10000.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		17-सहकारी चीनी मिल सेहरोड़ की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु	1.00
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज		18-सहकारी चीनी मिलों के क्षमता, विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण निवारण संयंत्र आदि कार्य	1.00
लेखा शीर्ष 6860 का योग			144007.00
अनुदान संख्या 024 का योग			144007.00
026	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1-एस.टी.एफ के लिए 03 अदद इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रय	57.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	2-पी.ए.सी. बल को सशक्त किये जाने एवं गतिशीलता को बढ़ाये जाने हेतु	2000.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3-साइबर क्राइम थानों हेतु वाहनों का क्रय	507.00
लेखा शीर्ष 4055 का योग			2564.00
अनुदान संख्या 026 का योग			2564.00
028	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अभियोजन विभाग के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट कार्यालय के भवन का नवनिर्माण	500.00
लेखा शीर्ष 4059 का योग			500.00
अनुदान संख्या 028 का योग			500.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-जनपद बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन	2000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	2500.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		3-जनपद वाराणसी में मेडिकल कालेज की स्थापना	40000.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		4-भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना	1000.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		5-राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन	2500.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		6-राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल- II को ट्रामा सेन्टर लेवल- I में परिवर्तित किया	30000.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		7-होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नगलीनियर एक्सेलेरेटर की स्थापना	4000.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	77500.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	80000.00
032	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अयोध्या में 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण	7035.44
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	7035.44
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	7535.44
033	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों की स्थापना	0.19
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं नये चिकित्सालयों की स्थापना	0.20
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं वाराणसी में पंचकर्म प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	0.21
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ / प्रयागराज में अनुसंधान उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना	105.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	105.60
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		5-आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों का निर्माण	300.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		6-आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं नये चिकित्सालयों की स्थापना	300.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		7-आयुष चिकित्सालयों के लिए भूमि क्रय	20.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		8-महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाना	100.00
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		9-यूनानी विभाग में लघु निर्माण कार्य	100.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	820.00
		अनुदान संख्या 033 का योग	925.60
034	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शोध कार्यो का संचालन	90.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत 18 मण्डलों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालयों की स्थापना	99.11
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों की स्थापना	281.36
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	470.47
		अनुदान संख्या 034 का योग	470.47
035	2211-परिवार कल्याण	1-102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विसेज	17655.60
		लेखा शीर्ष 2211 का योग	17655.60
		अनुदान संख्या 035 का योग	17655.60
037	2217-शहरी विकास	1-प्रदेश के नगरीय निकायों में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास	50000.00
	2217-शहरी विकास	2-मुख्य मंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) (सी.एम.-ग्रिड्स)	80000.00
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	130000.00
		अनुदान संख्या 037 का योग	130000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
040	3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें	1-पी.एफ.ए.डी. के डैशबोर्ड / पोर्टल का सृजन	13.34
		लेखा शीर्ष 3451 का योग	13.34
	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2-नेशनल डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज एवं डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज आदि के लिए एक डेडिकेटेड एण्ड म्युचुअली एक्सेसिबल पोर्टल	98.12
	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	3-प्रदेश की सांख्यिकीय का कायाकल्प किया जाना	1316.15
		लेखा शीर्ष 3454 का योग	1414.27
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5400.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5400.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	30.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	30.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-त्वरित आर्थिक विकास योजना	20.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	20.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7-त्वरित आर्थिक विकास योजना	14010.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	14010.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	10.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	9-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	10.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	10-क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)	45000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	11-क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)	35000.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	80000.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	12-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	10.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
4801-	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10510.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	10510.00
5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-त्वरित आर्थिक विकास योजना	120000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	120000.00
		अनुदान संख्या 040 का योग	231427.61
043	3055-सड़क परिवहन	1-व्हेकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना का संचालन	300.00
		लेखा शीर्ष 3055 का योग	300.00
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2-परिवहन निगम के बस बेड़े का सुदृढीकरण	50000.00
		लेखा शीर्ष 5055 का योग	50000.00
		अनुदान संख्या 043 का योग	50300.00
044	3452-पर्यटन	1-उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद्	300.00
	3452-पर्यटन	2-उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद् का गठन	250.00
	3452-पर्यटन	3-उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ धाम विकास परिषद् का गठन	250.00
	3452-पर्यटन	4-मान्यवर कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ का संचालन	100.00
		लेखा शीर्ष 3452 का योग	900.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5-आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की स्थापना	2500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	6-उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद् द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास	15000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	7-उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद् द्वारा देवीपाटन तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास	4000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	8-उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद् द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास	10000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	9-उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास	1500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	10-नाथ कॉरिडोर, बरेली का पर्यटन विकास एवं	2500.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		सौन्दर्यीकरण	
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	35500.00
		अनुदान संख्या 044 का योग	36400.00
046	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ में भवन के वाहन पार्किंग क्षेत्र में शेड की व्यवस्था	38.20
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	38.20
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नया वाहन क्रय	15.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नया वाहन क्रय किये जाने एवं विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	16.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	31.00
		अनुदान संख्या 046 का योग	69.20
047	2203-तकनीकी शिक्षा	1-इंटरनेशनल ट्रेड फेयर/ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का व्यय	50.00
		लेखा शीर्ष 2203 का योग	50.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों के भवनों/छात्रावासों/चहरदिवारी/आवासों आदि का जीर्णोद्धार	2000.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों (पुस्ब/महिला) में ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना	800.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में 01 लाख लीटर पानी क्षमता के ओ.एच.टी पम्प हाउस एवं बोरिंग के निर्माण	60.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का निर्माण	104.40
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का निर्माण	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	3064.40
		अनुदान संख्या 047 का योग	3114.40
053	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-राज्य एकीकरण परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य को देय सुविधायें	1.50

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	1.50
		अनुदान संख्या 053 का योग	1.50
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण	650.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	55.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-कार्यालय भवनों का निर्माण	415.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरुद्धार	265.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान	114.60
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	2700.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	368.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	176.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना	154.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5098.60
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	12-आवासीय भवनों का निर्माण	450.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-जनपदों में पूल्ड आवासों का निर्माण	160.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	98.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	708.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	5806.60
057	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	31516.00
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	35455.50
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण	11818.50
	5054-सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	74850.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	153640.00
		अनुदान संख्या 057 का योग	153640.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
058	3054-सड़क तथा सेतु	1-वी.वी.आई.पी. विजिट कार्यों हेतु व्यवस्था	10000.00
		लेखा शीर्ष 3054 का योग	10000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		2-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चीकरण	100.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	60000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		4-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	60000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		5-इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य	23000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		6-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	30000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		7-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण	100.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		8-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य	100.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		9-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		10-तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण	3000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		11-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	10000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		12-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	70000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		13-मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	5000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		14-मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	4000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		15-राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	15000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		16-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	5000.00
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17-राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण	57000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	35000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	5000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	382400.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	392400.00
059	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अयोध्या, नोएडा एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह हेतु भूमि क्रय एवं निर्माण	35000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	35000.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	2-आवासीय बहुमंजिला भवनों का निर्माण	2000.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3-तालकटोरा कालोनी स्थित पुराने आवासों के स्थान पर नये आवासों का निर्माण	1500.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4-लखनऊ स्थित विभिन्न सचिवालय कालोनियों में आवासों का निर्माण	3500.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	7000.00
		अनुदान संख्या 059 का योग	42000.00
060	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	1-ई-गवर्नेंस योजना का संचालन	750.00
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2- "कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण और निर्माण" योजना	50.00
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	3-"फरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम" योजना	295.28
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	1095.28
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खाँ प्राणि उद्यान में एक्वेरियम की स्थापना	1500.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	5- "फरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम" योजना	35.73
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	1535.73
		अनुदान संख्या 060 का योग	2631.01
065	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग हेतु मोटर वाहनों का क्रय	25.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	25.00
		अनुदान संख्या 065 का योग	25.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
067	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-विधान परिषद् की गैलरी में ग्राफिक मॉनीटर सिस्टम की स्थापना	497.96
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-विधान परिषद् सभा मण्डप की "हाँ व नहीं" लॉबी में अत्याधुनिक ग्राफिक मॉनीटर की स्थापना	365.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण देखने हेतु फाइबर ऑप्टिकल केबल तथा ग्राफिक मॉनीटर एवं कियोस्क सिस्टम की स्थापना	289.10
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1152.06
		अनुदान संख्या 067 का योग	1152.06
068	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी कल्याण संगठन (सामान्य निधि) को सहायता अनुदान	3.00
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	3.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-मुख्य भवन विधान सभा कार्यालय कक्षों में स्थापित वातानुकूलन संयंत्र-3 में पूर्व से स्थापित चिलर पाइपलाइन एवं बल्बों के बदलाव का कार्य	292.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	292.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-विधान भवन सचिवालय में स्थापित मा. मुख्यमंत्री आर्ट गैलरी में विजिटर ऑडियो सिस्टम, एप्लीकेशन एवं कियोस्क आदि की स्थापना	260.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-विधान सभा की कार्यवाही के डिजीटाइजेशन में प्रयुक्त MULTILINGUAL INTELLIGENT SEARCH SOLUTION साफ्टवेयर को उसके बेस एप्लीकेशन साफ्टवेयर व डेटा सेंटर में स्थापित सर्वर के नये वर्जन के अनुरूप तकनीकी रूप से नवीनीकृत कराया जाना	498.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-विधान सभा के "हाँ एवं ना" लाबी में सदन की कार्यवाही को सुनने हेतु ध्वनि प्रणाली सिस्टम की स्थापना तथा मा. राज्यपाल दीर्घा एवं मीडिया दीर्घा में उच्च स्तरीय साउण्ड / कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना	475.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	1233.00
		अनुदान संख्या 068 का योग	1528.00
069	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-69 आई.टी.आई. का उन्नयन	53475.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2-वर्ष 2024 में होने वाली "अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो" में	50.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षण विभागीय स्टॉल लगाया जाना	
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	53525.00
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		3-69 आई.टी.आई. का उन्नयन	28400.00
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		4-प्रदेश में दो मेगा राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना	100.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	28500.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	82025.00
070	2810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा	1-अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को दक्ष बनाने के लिए शोध एवं विकास कार्य	500.00
		लेखा शीर्ष 2810 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	500.00
071	2202-सामान्य शिक्षा	1-निपुण भारत चैम्पियन पुरस्कार	100.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 071 का योग	100.00
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, गोरखपुर का संचालन	400.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	400.00
		2-अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना	6000.00
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		3-नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर) (100 बेडड छात्रावास सहित) की स्थापना	500.00
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		4-राजकीय इण्टर कॉलेजों एवं राज्य क्रीडा संस्था, फैजाबाद की खेल सुविधाओं का सुदृढीकरण	5000.00
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		5-राजकीय संस्कृत विद्यालय (छात्रावास तथा मिनी स्टेडियम का निर्माण)	1046.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	12546.00
		अनुदान संख्या 072 का योग	12946.00
073	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना	120.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2202-सामान्य शिक्षा	2-प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट मॉनीटरिंग इवैल्युशन एण्ड रिसर्च	620.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3-माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना	120.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4-माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर की स्थापना	120.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	980.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के मुख्यालय भवन का निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 073 का योग	1480.00
074	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-मण्डलीय होमगार्ड्स कार्यालय एवं जिला होमगार्ड्स कार्यालय के भवन का निर्माण	2000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-होमगार्ड्स विभाग के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण	1500.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	3500.00
		अनुदान संख्या 074 का योग	3500.00
075	2202-सामान्य शिक्षा	1-राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा	54.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	54.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी के मुख्य भवन, छात्रावास, ऑडिटोरियम, म्यूजियम का निर्माण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 075 का योग	1054.00
078	2013-मंत्रि परिषद्	1-मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष	31100.00
		लेखा शीर्ष 2013 का योग	31100.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-संसदीय कार्य विभाग में नये वाहन का क्रय	20.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	20.00
		अनुदान संख्या 078 का योग	31120.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
079	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	1-डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक- 3 का निर्माण	100.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	2-नवीन सामेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	800.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	3-बचपन डे केयर सेन्टर	500.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	1400.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	1400.00
080	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	500.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 080 का योग	500.00
081	2202-सामान्य शिक्षा	1-प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन)	130.28
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	130.28
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का भवन निर्माण	190.31
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का भवन निर्माण	188.60
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन)	636.75
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1015.66
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	1200.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	1200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6-प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम.-जनमन) योजना	290.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	290.00
		अनुदान संख्या 081 का योग	2635.94
082	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-लोकायुक्त प्रशासन के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य	500.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 082 का योग	500.00
083	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का भवन निर्माण	286.72
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का भवन निर्माण	239.30
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	526.02
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3-जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	36000.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	36000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	4-पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाएं	12500.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	5-बुंदेलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएं	7500.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	8484.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नए कार्य	18843.76
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-राज्य राज्यमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य	15344.21
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	9544.50
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्य	3181.50
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11- सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	20150.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	75547.97
		अनुदान संख्या 083 का योग	132073.99
084	2250-अन्य सामाजिक सेवायें	1-ग्रामीण क्षेत्रों में पौराणिक / धार्मिक मेलों का आयोजन	500.00
	2250-अन्य सामाजिक सेवायें	2-प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों हेतु अनुदान	10.00
		लेखा शीर्ष 2250 का योग	510.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-धर्मार्थ कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि का क्रय / अधिग्रहण	100.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ एवं धार्मिक स्थलों पर जनसुविधाओं एवं पार्किंग का विकास	2000.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-मथुरा वृंदावन कॉरीडोर का निर्माण	15000.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण व सुदृढीकरण	100.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	17200.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	17710.00
089	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद अमेठी में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद एटा में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	360.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद कासगंज में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	250.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद गाजीपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	650.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-जनपद बिजनौर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	1850.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-जनपद भदोही में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	550.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-जनपद महोबा में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	450.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-जनपद हमीरपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-राज्य कर कार्यालय भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना	250.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	5360.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	10-जनपद कुशीनगर में विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	175.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	11-जनपद देवरिया में राज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण	500.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	675.00
		अनुदान संख्या 089 का योग	6035.00
092	2205-कला एवं संस्कृति	1-अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या	146.46
	2205-कला एवं संस्कृति	2-आजादी का अमृतकाल महोत्सव	1000.00

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2205-कला एवं संस्कृति	3-उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो	150.00
	2205-कला एवं संस्कृति	4-उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध संगीत गुरुओं के नाम पर समारोह	200.00
	2205-कला एवं संस्कृति	5-उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024 – 2025	500.00
	2205-कला एवं संस्कृति	6-कजरी महोत्सव का आयोजन	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	7-पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्थल	25.00
	2205-कला एवं संस्कृति	8-प्रेक्षागृहों का संचालन एवं अनुरक्षण	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	9-भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल आगरा का संचालन एवं रख - रखाव	50.00
	2205-कला एवं संस्कृति	10-महाकुम्भ - 2025	10000.00
	2205-कला एवं संस्कृति	11-राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास	25.00
	2205-कला एवं संस्कृति	12-रेडियो जयघोष	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	13-संग्रहालयों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चिकरण	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	14-संत कबीर अकादमी	258.00
		लेखा शीर्ष 2205 का योग	12754.46
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	15-उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय की स्थापना	800.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	16-जनपद बिजनौर में पुस्तकालय एवं प्रेक्षागृह से युक्त संग्रहालय की स्थापना	500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	17-सरकारी / अर्द्ध सरकारी भवनों पर स्फ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना	500.00
	4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	18-संग्रहालयों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चिकरण	1500.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	3300.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	16054.46
093	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	1- जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना	82800.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	82800.00
		अनुदान संख्या 093 का योग	82800.00
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	3186.89

वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	3186.89
2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई		2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	2689.52
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	2689.52
2702-लघु सिंचाई		3-लघु सिंचाई की परियोजनायें	290.30
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	290.30
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		4-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	215719.81
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	215719.81
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		5-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	52131.81
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	52131.81
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		6-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	73269.72
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	73269.72
		अनुदान संख्या 094 का योग	347288.05
095 2700-मुख्य सिंचाई		1-उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग	938.20
2700-मुख्य सिंचाई		2-राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन आँकड़ा तथा विज्ञेयण केन्द्र	531.10
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	1469.30
		अनुदान संख्या 095 का योग	1469.30

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

एकीकृत मण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद लखनऊ, कानपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद में एकीकृत मण्डलीय कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सीड कैपिटल प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य शहरी विकास योजनायें

051- निर्माण

06- जनपद लखनऊ, कानपुर, मेरठ एवं मुरादाबाद में एकीकृत मण्डलीय कार्यालयों का निर्माण

30-निवेश/ऋण

4000.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MUKHYAMANTRI-YUVA) योजना

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MUKHYAMANTRI-YUVA) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शिक्षित व प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से लघु उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

102- लघु उद्योग

19- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (Mukhyamantri YUVA) योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100000.00

अनुदान संख्या 005

उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)

ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र, प्रयागराज में कार्मिकों हेतु आवास एवं ई.टी.पी. यूनिट निर्माण

ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र, प्रयागराज में कार्मिकों हेतु आवास एवं ई.टी.पी. यूनिट निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 70.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 70.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

05- ऊनी धागा उत्पादन केन्द्र, प्रयागराज

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

70.00

कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर में स्टॉक स्टोर का निर्माण

कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर में स्टॉक स्टोर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

10- कम्बल उत्पादन केन्द्र, खजनी-गोरखपुर में स्टॉक स्टोर का निर्माण

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

20.00

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

पी.एम. मित्र पार्क के संचालन से संबंधित अन्य अतिरिक्त विविध व्यय

पी.एम. मित्र पार्क के संचालन से संबंधित अन्य अतिरिक्त विविध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

103- हथकरघा उद्योग

04- पी.एम.मित्र पार्क के संचालन से संबंधित विविध व्यय

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजना

हथकरघा वस्त्र उत्पादों, पावरलूम वस्त्रों, वस्त्र इकाईयों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के वस्त्रों एवं तकनीकी वस्त्रों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं प्रदर्शन हेतु मेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

103- हथकरघा उद्योग

06- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन एवं प्रतिभाग योजना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

150.00

अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना

पावरलूम बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति के स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

108- बिजली करघा उद्योग

09- अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना

27-सब्सिडी

40000.00

पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना

पी.एम. मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु जल व्यवस्था, विद्युत सब स्टेशन की स्थापना एवं बाउण्ड्री के निर्माण से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	
103- हथकरघा उद्योग	
04- पी.एम.मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित विविध व्यय	
30-निवेश/ऋण	20000.00

जनपद वाराणसी में निफ्ट की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था

जनपद वाराणसी में निफ्ट की स्थापना हेतु भूमि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगो पर पूँजीगत परिव्यय	
103- हथकरघा उद्योग	
05- जनपद वाराणसी में निफ्ट की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	15000.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर के भवनों की मरम्मत / रख-रखाव एवं आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर के भवनों की मरम्मत / रख-रखाव के लिये रुपये 50.00 करोड़ अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान एवं गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना के लिये रुपये 50.00 करोड़ अनावर्तक (एक बारीय) अनुदान अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर को भवनों की मरम्मत / रख - रखाव हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5000.00
04- गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स सेन्टर की स्थापना हेतु अनावर्तक (एकबारीय) अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	5000.00
	<hr/>
योग -	10000.00
	<hr/>

ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के आयोजन में प्राप्त निवेश प्रस्तावों/एम.ओ.यू. को धरातल पर लाये जाने हेतु ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है । अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
10- ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी	
42-अन्य व्यय	2000.00

फरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023

फरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के अंतर्गत भूमि आवंटन दरों में रियायत एवं अन्य सब्सिडी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
12- फरैन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफ.डी.आई.) एवं फॉर्च्यून-500 कम्पनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023	
27-सब्सिडी	25000.00

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं चार्जिंग अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
13- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022	
42-अन्य व्यय	1.00

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021

उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 67.27 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 67.27 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
20- उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021	
42-अन्य व्यय	6727.00

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत संबन्धित कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन (सब्सिडी) प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
28- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022	
42-अन्य व्यय	1.00

मोटो जीपी कार्यक्रम वर्ष 2024-2025

मोटो जीपी कार्यक्रम वर्ष 2024-2025 के अन्तर्गत आगामी 07 वर्षों तक विश्व में कहीं भी आयोजित होने वाली ' मोटो जीपी रेस ' के आयोजन स्थलों पर उत्तर प्रदेश सरकार तथा इन्वेस्ट यू.पी. के LOGO को प्रमुख रूप से प्रदर्शित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
31- मोटो जीपी कार्यक्रम वर्ष 2024-25	
42-अन्य व्यय	1000.00

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन

उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2852- उद्योग	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
32- उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति के अन्तर्गत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन	
42-अन्य व्यय	5000.00

नये लिक एक्सप्रेसवे (आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु) परियोजना विकसित किये जाने हेतु

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

03- राज्य राजमार्ग

337- सड़क निर्माण कार्य

18- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नये लिक एक्सप्रेसवे

60-भूमि क्रय

50000.00

अनुदान संख्या 008

उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ में एक नवीन मॉडर्न प्रेस की स्थापना

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ में एक नवीन मॉडर्न प्रेस की स्थापना प्रस्तावित है। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय

103- सरकारी मुद्रणालय

09- राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ में एक नवीन मॉडर्न प्रेस की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

मेसर्स एन.टी.पी.सी लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा **2x800** मेगावॉट ओबरा 'द' तापीय परियोजना की स्थापना हेतु अंशपूँजी

2x800 मेगावॉट ओबरा 'द' तापीय परियोजना (लागत रुपये 17,985.27 करोड़) की स्थापना एन.टी.पी.सी एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा की जानी है। परियोजना लागत में अंशपूँजी का अंश 30 प्रतिशत है। जिनमें उभयपक्ष की भागीदारी 50:50 की है। वर्ष 2024-25 में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के अंशपूँजी योगदान हेतु 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1401- 2x800 मेगावॉट ओबरा 'द' तापीय परियोजना की स्थापना

30-निवेश/ऋण

5000.00

मेसर्स एन.टी.पी.सी लि. तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा **2x800** मेगावॉट अनपरा 'ई' तापीय परियोजना की स्थापना हेतु अंशपूँजी

2x800 मेगावॉट अनपरा 'ई' तापीय परियोजना (लागत रुपये 18,624.83 करोड़) की स्थापना एन.टी.पी.सी तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम द्वारा की जानी है। परियोजना लागत में अंशपूँजी का अंश 30 प्रतिशत है। जिनमें उभयपक्ष की अंशधारिता 50:50 की है। वर्ष 2024-25 में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के अंशपूँजी योगदान हेतु रुपये 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1402- 2x800 मेगावॉट अनपरा 'ई' तापीय परियोजना

30-निवेश/ऋण

5000.00

2x500 मेगावॉट अनपरा 'द' तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना

2x500 मेगावॉट अनपरा 'द' तापीय परियोजना पर रुपये 640.40 करोड़ की लागत से एफ.जी.डी. की स्थापना की जानी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रुपये 25.08 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.08 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.08 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
1403- 2x500 मेगावॉट अनपरा 'द' तापीय परियोजना पर एफ.जी.डी. की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	2508.00

1x660 मेगावॉट हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना

1x660 मेगावॉट हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना। अतः इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10209.30 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10209.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	
1404- 1x660 मेगावॉट हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना	
30-निवेश/ऋण	10209.30

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूजी

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु केन्द्रांश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूजी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
03- रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम	
0303- रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन के कार्य हेतु केन्द्रांश	
30-निवेश/ऋण	6000.00

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु राज्यांश के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूंजी

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत मॉडर्नाइजेशन कार्यों हेतु राज्यांश के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लि. को अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

05- संचरण तथा वितरण

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

89- केन्द्र प्रयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903- रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना के अंतर्गत मॉडर्नाइजेशन के कार्य हेतु राज्यांश

30-निवेश/ऋण

4000.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम

त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 54 जनपदों में कृषकों को जागरूक एवं प्रोत्साहित कर मक्का के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में सतत वृद्धि करते हुए उत्पादन बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 2737.20 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 2737.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
102- खाद्यान्नों की फसलें	
03- त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	
27-सब्सिडी	2050.00
42-अन्य व्यय	679.40
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.80
	<hr/>
योग -	2737.20
	<hr/>

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना

मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषकों को सोलर फेंसिंग हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करते हुए विभिन्न चक्रों की अन्न फसलों एवं सब्जी फसलों आदि को जंगली जानवरों / आवारा पशुओं से खेतों को सुरक्षा प्रदान कर क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
13- मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना(सोलर फेंसिंग)	
27-सब्सिडी	4800.00
42-अन्य व्यय	100.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100.00
	<hr/>
योग -	5000.00
	<hr/>

यू.पी. एग्रीकल्चर ग्रेथ एण्ड सरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेनथेनिंग (यूपी एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)

पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड के कम उत्पादकता वाले चयनित जनपदों यथा – झाँसी, ललितपुर, जालौन (झाँसी मण्डल), बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा (चित्रकूटधाम मण्डल), मीरजापुर, सोनभद्र, भदोही (विन्ध्याचल मण्डल), वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर (वाराणसी मण्डल), गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर (गोरखपुर मण्डल), आजमगढ़, मऊ, बलिया (आजमगढ़ मण्डल), बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर (बस्ती मण्डल), के लघु कृषकों एवं कृषक व्यवसायियों को लक्षित करने वाली समावेशी और लचीली कृषि मूल्य श्रृंखला और उद्यमों को विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण	
97- वाहय सहायतित परियोजनाएं	
9702- यू.पी.एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम(यूपी एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	16000.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1000.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3000.00
	20000.00
योग -	

विन्ड्स कार्यक्रम (Weather Information Network Data System-WIND)

विन्ड्स कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों एवं ग्राम पंचायतों में Automatic Weather Station (AWS) / Automatic Rain Gauge (ARG) स्थापित कर एकल डिजिटल प्लेटफार्म पर मौसम डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 60.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
110- फसल बीमा	
03- विण्ड्स इन्फार्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम(WINDS)	
42-अन्य व्यय	6000.00

राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत क्षमता एवं कौशल विकास द्वारा उत्पादन वृद्धि की योजनाएं

राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बन्धीय क्षेत्र के समग्र विकास एवं कृषि विविधीकरण हेतु क्षमता एवं कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
800- अन्य व्यय	
04- कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	700.00
29-अनुरक्षण	350.00
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1600.00
39-औषधि तथा रसायन	500.00
42-अन्य व्यय	1500.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	500.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	4415.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00
	10000.00
योग -	

कृषि विभाग में बॉडी शापिंग के आधार पर रखे गये कार्मिकों का भुगतान

यू.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड के नियमित समूह "घ" के कार्मिकों को बॉडी शापिंग के आधार पर कृषि विभाग में रखे गये कार्मिकों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 445.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 445.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म	
800- अन्य व्यय	
05- कृषि विभाग में बॉडी शापिंग के आधार पर रखे गये यू.पी. एग्री के नियमित समूह 'घ' के कार्मिकों के देयों का भुगतान	
42-अन्य व्यय	445.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बकाया गृहकर, जलकर, सीवर – कर एवं जल मूल्य का भुगतान

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में बकाया गृहकर, जलकर, सीवर – कर एवं जल मूल्य की लंबित देयताओं के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
04- उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	250.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर के विभागों में ई - फाइलिंग सिस्टम लागू किया जाना

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर के विभागों का डिजिटलाइजेशन किये जाने हेतु ई – फाइलिंग सिस्टम को लागू किये जाने के फलस्वरूप कम्प्यूटर सिस्टम, प्रिंटर, स्कैनर आदि उपकरणों की व्यवस्था किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
04- उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	250.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित ऑडिटोरीयम (कैलास भवन) की कुर्सियों को बदलवाने तथा अन्य मरम्मत कार्य

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित ऑडिटोरीयम (कैलास भवन) में स्थापित 40 वर्ष पुरानी एवं जर्जर कुर्सियों को बदवाये जाने तथा अन्य मरम्मत संबंधी कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 80.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 80.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
04- उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	80.00

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में संचालित महाविद्यालयों हेतु फर्नीचर, फर्निशिंग एवं लैब इक्विपमेंट की व्यवस्था

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में संचालित कृषि महाविद्यालय, उद्यान महाविद्यालय, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एण्ड फूड प्रोसेसिंग महाविद्यालय तथा पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय में अध्ययनरत एवं शोध छात्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, फर्निशिंग व प्रयोगशाला उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
12- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस गोण्डा के कार्मिकों का वेतन भुगतान

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित कृषि महाविद्यालय कैम्पस गोण्डा के संचालन हेतु साज – सज्जा, उपकरण एवं आकस्मिक व्यय तथा न्यूनतम आवश्यक पदों के वेतन भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 550.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 550.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
13- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय कैम्पस, गोण्डा की स्थापना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	400.00
	<hr/>
योग -	550.00

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय में आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के संचालनार्थ आउट सोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
80- सामान्य	
120- अन्य संस्थाओं को सहायता	
27- कृषि विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना	
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	50.00

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति – 2019 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति – 2019 के क्रियान्वयन हेतु कृषि – निर्यात संबंधी विषयों यथा – अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग, प्रदर्शनी, मार्केट इन्टेलीजेन्स यूनिट आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम	
01- विपणन तथा गुणवत्ता नियन्त्रण	
101- विपणन सुविधायें	
06- उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन	
42-अन्य व्यय	500.00

राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत पूंजीगत अवस्थापना एवं परिसम्पत्तियों के सृजन की योजनायें

राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि एवं सम्बन्धीय क्षेत्र के समग्र विकास एवं कृषि विविधीकरण के लिये नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसम्पत्तियों के सृजन की योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन अवसंरचनाओं एवं परिसंपत्तियों का विकास	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	1000.00
24-वृहत् निर्माण कार्य	6850.00
25-लघु निर्माण कार्य	150.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2000.00
	<hr/>
योग -	10000.00

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ऑडिटोरियम की स्थापना

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 920.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 920.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ	
2706- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में ऑडिटोरियम की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	920.00

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सीवर लाइन का व्यापक मरम्मत कार्य

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में वर्ष 2010 में स्थापित 25 लाख लीटर क्षमता का आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, 02 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सीवर लाइन के व्यापक मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ	
2707- विश्वविद्यालय परिसर में स्थित 2500000 ली. क्षमता की आर.सी.सी. ओवरहेड टैंक एवं 2 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवर लाईन मरम्मत अनुरक्षण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	75.00

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर सोलर फोटोवोल्टइक सिस्टम की स्थापना

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन में पर्यावरण संरक्षण एवं विद्युत खपत को पूर्ण किये जाने के लिये सोलर फोटोवोल्टइक सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ	
2708- नवनिर्मित केन्द्रीय पुस्तकालय भवन पर सोलर फोटा वोल्टइक की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	150.00

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मुख्यालय परिसर तथा चिरौड़ी प्रक्षेत्र की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मुख्यालय परिसर तथा सुरक्षा के दृष्टिगत चिरौड़ी प्रक्षेत्र की क्षतिग्रस्त बाउण्ड्रीवाल का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 225.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 225.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ	
2710- विश्वविद्यालय के चिरौड़ी प्रक्षेत्र एवं मुख्यालय परिसर की क्षतिग्रस्त बाउंड्रीवाल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	225.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में ऑडिटोरियम का निर्माण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में 1500 क्षमता के ऑडिटोरियम का निर्माण किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	
2805- विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 1500 क्षमता के ऑडिटोरियम का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का निर्माण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में अध्ययनरत विदेशी छात्रों के लिए 30 व्यक्तियों की क्षमता का अन्तर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	
2806- विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में 30 क्षमता का इन्टरनेशनल छात्र छात्रावास का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	150.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में राप्ती छात्रावास में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में स्थापित राप्ती छात्रावास के प्रथम तल पर 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	
2807- राप्ती छात्रावास के प्रथम तल पर 10 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	40.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में निर्मित अमरावती छात्रावास में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या में निर्मित अमरावती छात्रावास के लिए प्रथम तल पर 20 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किये

जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	
2808- अमरावती छात्रावास के प्रथम तल पर 20 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या	
2809- आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के मुख्य परिसर में एग्री टूरिज्म सेन्टर की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	150.00

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु ऑडिटोरियम का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
29- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा	
2914- ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में छात्रावास का निर्माण

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में अध्ययनरत छात्रों हेतु न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत 200 क्षमता के 01 छात्रावास का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

29- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा

2915- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा परिसर में 200 कक्ष क्षमता वाला 01 नग बालकों के छात्रावास का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

900.00

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट का निर्माण

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत सीवरेज एण्ड ड्रेनेज प्लाण्ट की परियोजना को पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

29- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा

2916- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

40.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय निर्माण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर, छात्रावास एवं अन्य परिसरों में जलापूर्ति हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय निर्मित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

3107- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य परिसर हेतु दो डीप ट्यूबवेल व 200 कि.ली. क्षमता का जलाशय का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर में पुराने भवनों की विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं विभिन्न स्थानों पर वांछित फीडर पिलर की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

3108- विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न पुराने भवनों की विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर परिसर में सी.सी रोड का निर्माण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के परिसर के विभिन्न स्थलों पर सी.सी रोड का निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 350.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

3109- विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी. रोड का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

350.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित कृषि संग्रहालय की आर.सी.सी छत का निर्माण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित कृषि संग्रहालय की गुम्बदाकार छत पर पी.सी.सी शीट, जो कि बार – बार खराब हो जाती है के स्थान पर आर.सी.सी छत के निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

277- शिक्षा

31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

3110- कृषि संग्रहालय की आर.सी.सी. छत का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

30.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की हेरिटेज इमारत का संरक्षण एवं सुदृढीकरण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की पत्थरों से बनी 150 वर्ष पुरानी हेरिटेज इमारत जिसमें कई विभाग भी संचालित हैं, के संरक्षण के दृष्टिगत मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्य किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	
3111- विश्वविद्यालय परिसर में हेरिटेज इमारत के संरक्षण एवं सुदृढीकरण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इटावा के परिसर में ऑन - ग्रिड सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इटावा के परिसर में विद्युत व्यय - भार को कम किये जाने के लिए ऑन - ग्रिड रूफ टॉप सोलर पैनल की स्थापना किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	
3112- बाबासाहब डा. भीमराव अंबेडकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय, इटावा के परिसर में ऑनग्रिड सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30.00

मत्स्य महाविद्यालय, इटावा में रूफ टॉप ऑन - ग्रिड सोलर पैनल की स्थापना

मत्स्य महाविद्यालय, इटावा के परिसर में विद्युत व्यय - भार को कम किये जाने के लिए रूफ टॉप ऑन - ग्रिड सोलर पैनल की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	
3113- मत्स्य महाविद्यालय, इटावा में ऑनग्रिड रूफ टॉप सोलर पैनल की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	10.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में छात्रावास निर्माण

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में एक 150 कक्षीय क्षमता का छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 700.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
31- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर	
3114- एक 150 कक्षीय क्षमता का छात्रावास का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	700.00

कृषि विश्वविद्यालयों में आर्गेनिक टेस्टिंग लैब की स्थापना

प्रदेश में स्थापित कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों यथा – कानपुर, अयोध्या, मेरठ एवं बांदा में एक – एक आर्गेनिक टेस्टिंग लैब की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
34- कृषि विश्वविद्यालयों में आर्गेनिक टेस्टिंग लैब की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	900.00

कृषि विश्वविद्यालयों में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना

प्रदेश में स्थापित कृषि विश्वविद्यालयों यथा – कानपुर, अयोध्या, मेरठ एवं बांदा में एक – एक टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 900.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 900.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
277- शिक्षा	
35- कृषि विश्वविद्यालयों में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	900.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिसर्फेसिंग / पीरियाडिक रिन्यूवल कार्यों का अनुरक्षण

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निर्मित एवं पोस्ट कंस्ट्रक्सन डी.एल.पी. के कालातीत मार्गों के रिसर्फेसिंग / पीरियाडिक रिन्यूवल कार्यों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 6536.97 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 6536.97 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3054-	सड़क तथा सेतु	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
105-	रख-रखाव तथा मरम्मत	
03-	उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	
0301-	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण	
29-	अनुरक्षण	6536.97

जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना

जनपद सोनभद्र में जिला ग्राम्य विकास संस्थान स्थापित किये जाने के लिए प्रशासनिक भवन, छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 46.30 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 46.30 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
05-	जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रशासनिक भवन व छात्रावास	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	4630.00

प्रदेश के 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अधीनस्थ प्रदेश के 17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में समुचित प्रशिक्षण हेतु 50 प्रतिभागियों की क्षमता की कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 736.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 736.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
06-	17 क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	736.00

प्रदेश के 17 क्षेत्रीय एवं 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान में सोलर प्लाण्ट की स्थापना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के अधीनस्थ प्रदेश के 17 क्षेत्रीय एवं 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थान में निर्वाध विद्युत आपूर्ति के लिए 20 किलोवाट क्षमता के ऑन – लाइन ग्रिड / बैकअप के साथ सोलर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 842.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 842.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
052- मशीनरी तथा उपस्कर	
03- 17 ग्राम्य विकास संस्थाओं तथा 33 जिला ग्राम्य विकास संस्थाओं में सोलर प्लाण्ट की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	842.00

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में सोलर प्लाण्ट की स्थापना

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ परिसर में निर्वाध विद्युत आपूर्ति किये जाने के लिये 100 किलोवाट के सोलर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 61.23 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 61.23 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
052- मशीनरी तथा उपस्कर	
04- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में सोलर प्लाण्ट की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	61.23

पं. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में छात्रावास का निर्माण

पं. दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ में 200 बेड का एक छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 950.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 950.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
03- दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ में 200 बेड के छात्रावास का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	950.00

जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय भवन

जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- जनपद सोनभद्र, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं कौशाम्बी में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु आवासीय भवन

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

युवाओं की व्यापक सहभागिता हेतु नवीन तकनीक का प्रयोग कर युवाओं को जागरूक बनाने हेतु आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों का संचालन

प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक युवाओं की व्यापक सहभागिता हेतु नवीन तकनीक का प्रयोग कर युवाओं को जागरूक बनाये जाने हेतु आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- प्रादेशिक विकास दल	
42-अन्य व्यय	100.00

जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में ई - एम.बी., ई - बिल कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित कर लागू किया जाना

प्रदेश में जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जा रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई - एम.बी., ई - बिल कम्प्यूटर साफ्टवेयर विकसित कर लागू किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 350.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- पंचायती राज निदेशालय	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	350.00

प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर का निर्माण

प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह / मांगलिक कार्य एवं सामूहिक कार्यक्रमों के आयोजनों की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए बारात घर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
800- अन्य व्यय	
04- प्रदेश की प्रत्येक विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात आयोजन हेतु विवाह घर का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00

पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण तथा विद्युतीकरण

प्रदेश में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण एवं विद्युतीकरण व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 21.80 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 21.80 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

101- पंचायती राज

03- पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1186.25

60-भूमि क्रय

993.75

योग -

2180.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनेबलड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

प्रदेश में विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनेबलड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 74.10 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 74.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन

102- पशु तथा भैस विकास

04- विकास खण्ड स्तर पर आई.टी. इनेबलड पशु गर्भ परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

09-विद्युत देय

0.60

11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

0.50

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

3.00

17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व

4.80

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

6.00

43-सामग्री एवं सम्पूति

54.00

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

1.20

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

4.00

योग -

74.10

जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना

जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 284.52 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 284.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2403- पशु पालन	
106- अन्य पशुधन विकास	
07- जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	
04-यात्रा व्यय	1.72
07-मानदेय	2.58
08-कार्यालय व्यय	0.86
09-विद्युत देय	2.15
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.86
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12.90
13-टेलीफोन पर व्यय	0.43
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.30
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.86
39-औषधि तथा रसायन	0.86
42-अन्य व्यय	4.73
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	216.15
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8.60
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.72
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25.80
	284.52
योग -	284.52

ई.एस.वी.एच.डी. - मोबाइल वेटेनरी यूनिट अन्तर्गत क्रायोकेन उपलब्ध कराया जाना

प्रदेश में पशुपालकों के द्वार पर पशुचिकित्सा की सेवायें उपलब्ध कराये जाने ई.एस.वी.एच.डी. - मोबाइल वेटेनरी यूनिट के माध्यम से कृत्रिम पशु गर्भाधान के लिए तरल नत्रजन ट्रांसपोर्ट क्रायोकेन की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 230.36 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 230.36 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
102- पशु तथा भैंस विकास	
03- ई.एस.वी.एच.डी. मोबाइल वेटेनरी यूनिट के अन्तर्गत क्रायोकेन की व्यवस्था	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	230.36

जनपद स्तर पर कृत्रिम पशु गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु तरल नत्रजन की उपलब्धता के लिए क्रायोवैसल की स्थापना

जनपद स्तर पर कृत्रिम पशु गर्भाधान कार्यकर्ताओं हेतु तरल नत्रजन की उपलब्धता के लिए क्रायोवैसल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 934.80 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 934.80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
102- पशु तथा भैंस विकास	
07- जनपद स्तर पर कृत्रिम पशु गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए तरल नन्नजन की उपलब्धता हेतु क्रायोवैसल का क्रय एवं स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	190.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	744.80
	<hr/>
योग -	934.80
	<hr/>

जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना

जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजनान्तर्गत बकरी – शेड के निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 215.48 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 215.48 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	
106- अन्य पशुधन विकास	
07- जमुनापारी बकरियों का सुधार एवं संरक्षण योजना	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	15.48
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
	<hr/>
योग -	215.48
	<hr/>

अनुदान संख्या 017

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क योजना

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रथम चरण में 62 एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 190.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 190.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- अंतर्देशीय मछली पालन	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0102- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	11400.00
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8902- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत एकीकृत एक्वा पार्क का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7600.00
	<hr/>
योग -	19000.00
	<hr/>

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 87.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 87.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4405- मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	
101- अंतर्देशीय मछली पालन	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण (के.60/रा.40-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5250.00
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3500.00
	<hr/>
योग -	8750.00
	<hr/>

सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना

प्रदेश के मत्स्य पालकों को सघन मत्स्य पालन की ओर आकर्षित करते हुए मत्स्य उत्पादकता में समुचित वृद्धि करते हुए आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2405- मछली पालन

101- अन्तर्देशीय मछली पालन

04- मत्स्य विकास कार्यक्रम

0402- सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

राज्य की ग्रामीण महिलाओं हेतु विशिष्ट ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ड्रोन के माध्यम से किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डी.ए.पी. और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवायें किराये पर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता

003- प्रशिक्षण

03- राज्य की ग्रामीण महिलाओं हेतु प्रस्तावित विशिष्ट ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी - पैक्स) का उन्नयन

प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की निर्बल आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मार्जिन मनी के रूप में राज्य सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता

108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता

05- बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति (बी-पैक्स) का उन्नयन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

सहकार से समृद्धि योजना का संचालन

सहकारी संस्थाओं के कर्मिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल, प्रभावी एवं सक्षम बनाये जाने हेतु प्रदेश में पी.सी.यू द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों को राज्य सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता

108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता

06- सहकार से समृद्धि योजना का संचालन

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

सहकार से समृद्धि योजना

सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से विकास मॉडल विकसित करने हेतु 10 विभागों की समस्त 46 हजार सहकारी समितियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार किये जाने हेतु राज्य सहायता की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 116.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 116.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
07- सहकार से समृद्धि योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारिता के माध्य से विकास मॉडल विकसित करने हेतु सहकारी समितियों का डेटा बेस को तैयार किया जाना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	116.00

अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के नवीन गोदामों का निर्माण

प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) में 40 वर्ष पूर्व स्थापित गोदामों के क्षतिग्रस्त / जर्जर होने के कारण भण्डारित सामग्री के खराब होने से होने वाली आर्थिक क्षति को दूर किये जाने के लिए 75 जनपदों में नवीन गोदामों के निर्माण हेतु राज्य सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता	
108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता	
08- अन्न भण्डारण योजनान्तर्गत प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के नवीन गोदामों का निर्माण	
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	100.00

सहकारिता विभाग की संग्रह योजना हेतु राज्य सहायता

सहकारी संग्रह निधि में संग्रह शुल्क के संग्रहण स्तर में कमी आने तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप सहकारी संग्रह निधि में धनाभाव की स्थिति के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता	
800- अन्य व्यय	
07- सहकारिता विभाग की संग्रह योजना की सहायता हेतु अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00

आई.सी.सी.एम.आर.टी की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण

आई.सी.सी.एम.आर.टी के मुख्य भवन में स्थापित व्याख्यान कक्षों, कम्प्यूटर लैब, ऑडीटोरियम लिफ्ट, अग्निशमन सिस्टम के नवीनीकरण / आधुनिकीकरण तथा पुस्तकालय में किताबों, बुकशेल्फ, छात्रावास भवन का जीर्णोद्धार आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2425- सहकारिता	
800- अन्य व्यय	
08- आई.सी.सी.एम.आर.टी. की अवस्थापनाओं का जीर्णोद्धार एवं सुदृढीकरण	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	200.00

विभागीय सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बी – पैक्स भवनों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना

विभागीय सरकारी / अर्द्ध सरकारी / बी – पैक्स भवनों में विद्युत व्यय में कमी तथा पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत, रूफ टॉप सोलर सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
800- अन्य व्यय	
03- सरकारी / अर्द्ध सरकारी /बी-पैक्स भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	500.00

राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सहकारी समितियों के अंशकों के क्रय हेतु शेयर मनी प्राप्त करना

नेशनल कोआपरेटिव आर्गेनिक्स लिमिटेड, आनन्द गुजरात तथा भारतीय बीज सहकारी समिति लि. नई दिल्ली की सदस्यता ग्रहण किये जाने हेतु अंशकों के क्रय की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	
200- अन्य निवेश	
03- राज्य सरकार से सीमित दायित्व वाली अन्य सरकारी समितियों के अंशकों का क्रय	
30-निवेश/ऋण	20.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

विधिक माप विज्ञान विभाग में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन

विधिक माप विज्ञान विभाग में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 81.78 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 81.78 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

106- भार और माप का विनियमन

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101- विधिक माप विज्ञान विभाग में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का संचालन (के.100/रा.0-के.)

42-अन्य व्यय

81.78

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गठित पी.एम.यू.

प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गठित पी.एम.यू. के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2204- खेल कूद तथा युवा सेवार्यें

104- खेलकूद

19- प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से गठित पी.एम.यू. के व्यय हेतु

42-अन्य व्यय

300.00

स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेंट सेन्टर की स्थापना

स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेंट सेन्टर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

05- स्पोर्ट्स साइन्स एण्ड इन्जरी मैनेजमेंट सेन्टर की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य

1200.00

जनपद शाहजहाँपुर में खेल अवस्थापनाओं का विकास

जनपद शाहजहाँपुर में खेल अवस्थापनाओं के विकास के अन्तर्गत हाकी मैदान के लिये रुपये 2.00 करोड़ एवं स्टेडियम के लिये रुपये 2.50 करोड़ अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 450.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

03- खेलकूद तथा युवा सेवा

800- अन्य व्यय

13- जनपद शाहजहाँपुर में खेल अवस्थापनाओं का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

450.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30-निवेश/ऋण	60000.00

सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु

सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला-अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी. करने, सल्फरलेस रिफाइनड शुगर उत्पादित करने, केन जूस/बी-हैवी/सी-हैवी शरि का उपयोग करते हुए एक लाख लीटर प्रतिदिन एथनॉल उत्पादन क्षमता की आसवनी एवं 100 टन प्रतिदिन प्रेसमड का उपयोग करते हुए कंप्रेसड बायोगैस की स्थापना की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
04- सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु	
30-निवेश/ऋण	10000.00

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज	
30-निवेश/ऋण	2500.00

सहकारी चीनी मिल सेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु

सहकारी चीनी मिल सेहरोड, नजीबाबाद, जिला-बिजनौर की पेराई क्षमता 3000 टी.सी.डी. से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी. करते हुए सल्फरलेस रिफाइनड शुगर उत्पादन एवं पूर्व स्थापित 40 किलो. प्रतिदिन एथनॉल उत्पादन क्षमता के अतिरिक्त 60 कि.ली प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का आसवनी की स्थापना तथा 100 टी.पी.डी. क्षमता की प्रेसमड से सी.पी.जी. उत्पादन करने की परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के

आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

06- सहकारी चीनी मिल ग्रेहरोड की पेराई क्षमता विस्तारीकरण तथा आसवनी आदि हेतु

30-निवेश/ऋण

1.00

दि किसान सहकारी चीनी मिल साथा, जिला अलीगढ़ के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता

दि किसान सहकारी चीनी मिल साथा, जिला अलीगढ़ के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

07- सहकारी चीनी मिल साथा की आधुनिकीकरण / सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्य

30-निवेश/ऋण

1.00

दि किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता

दि किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण/सुदृढीकरण एवं पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

08- दि किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर के आधुनिकीकरण / सुदृढीकरण तथा पेराई क्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन के कार्य

30-निवेश/ऋण

1.00

रूद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर जिला-रामपुर की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन

रूद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर जिला-रामपुर की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 65.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
09- रूद्र विलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर की तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	6500.00

किसान सहकारी चीनी मिल लि., पूरनपुर, जिला पीलीभीत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता

किसान सहकारी चीनी मिल लि., पूरनपुर, जिला पीलीभीत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
10- दि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा एवं किसान सहकारी चीनी मिल लि. पूरनपुर का तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	1.00

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा, जिला बरेली की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता

दि किसान सहकारी चीनी मिल लि., सेमीखेड़ा, जिला बरेली की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 65.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
10- दि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा एवं किसान सहकारी चीनी मिल लि. पूरनपुर का तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	6500.00

किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता

किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय सहायता इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 65.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
12- किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	6500.00

किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण

किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 65.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 65.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
13- किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण	
30-निवेश/ऋण	6500.00

सहकारी चीनी मिलों के क्षमता, विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण निवारण संयंत्र आदि कार्य

सहकारी चीनी मिलों के क्षमता, विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण निवारण संयंत्र आदि कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
21- सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण	
30-निवेश/ऋण	1.00

रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु

आर्थिक रूप से जर्जर कम क्षमता की 02 सहकारी चीनी मिलें यथा-सुल्तानपुर एवं साथा के कर्मकारों के वेतन, मजदूरी एवं भत्तों के बकायों के भुगतान तथा आर्थिक रूप से रूग्ण 05 सहकारी चीनी मिलों यथा- सुल्तानपुर, साथा, महमूदाबाद, पूरनपुर तथा घोसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकायों के भुगतान हेतु वित्तीय सहायता। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज	
22- रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज	
30-निवेश/ऋण	500.00

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की पिपराईच (गोरखपुर) चीनी मिल में आसवनी की स्थापना हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना	
30-निवेश/ऋण	10000.00

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु रिवाल्विंग फण्ड

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान नियमानुसार 14 दिन के अन्दर किये जाने हेतु रिवाल्विंग फण्ड प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	
04- चीनी	
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
05- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान	
30-निवेश/ऋण	25000.00

उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य

उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण

30-निवेश/ऋण

1.00

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की छाता (मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवनी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

13- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की छाता(मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवानी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना

30-निवेश/ऋण

10000.00

उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्य

उ.प्र. राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04- चीनी

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

14- निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवानी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार

30-निवेश/ऋण

1.00

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

पी.ए.सी. बल को सशक्त किये जाने एवं गतिशीलता को बढ़ाये जाने हेतु

पी.ए.सी. हेतु बी.पी.आर.ए.डी. मानक के अनुसार एवं 24 कम्पनियों क्रियाशील होने के दृष्टिगत कुल 120 अदद नए वाहनों के क्रय प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

17- राज्य शस्त्र कान्स्टेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

2000.00

साइबर क्राइम थानों हेतु वाहनों का क्रय

नवगठित 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों के लिए अधिकारी/कर्मचारियों हेतु नए वाहनों का क्रय प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 507.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 507.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

18- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

507.00

एस.टी.एफ के लिए 03 अदद इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रय

एस.टी.एफ के लिए 03 अदद इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 57.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 57.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

207- राज्य पुलिस

19- स्पेशल टास्क फोर्स

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

57.00

अनुदान संख्या 028

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अभियोजन विभाग के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट कार्यालय के भवन का नवनिर्माण

अभियोजन विभाग के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट कार्यालय के भवन का नवनिर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

001- निदेशन तथा प्रशासन

03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

जनपद बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन

जनपद बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05-	चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
03-	शिक्षा	
0321-	राजकीय मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर	
01-	वेतन	200.00
03-	मंहगाई भत्ता	100.00
06-	अन्य भत्ते	10.00
08-	कार्यालय व्यय	10.00
12-	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
29-	अनुरक्षण	10.00
42-	अन्य व्यय	10.00
46-	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
55-	मकान किराया भत्ता	10.00
58-	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	130.00
		500.00
	योग -	

राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन

राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
22- पैरा मेडिकल कॉलेज, कन्नौज	
01-वेतन	1000.00
03-मंहगाई भत्ता	400.00
06-अन्य भत्ते	20.00
08-कार्यालय व्यय	10.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
29-अनुरक्षण	100.00
42-अन्य व्यय	100.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50.00
55-मकान किराया भत्ता	10.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	300.00
	2000.00
योग -	2000.00

राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन

राजकीय मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं संचालन के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
60- पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, कन्नौज	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1500.00
	2500.00
योग -	2500.00

जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
90- जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
26-मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	10000.00
	40000.00
योग -	40000.00

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I में परिवर्तित किया जाना

राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर लेवल-द्वितीय को ट्रामा सेन्टर लेवल-एक (100 बेडेड) / (एपेक्स ट्रामा सेन्टर-200 बेडेड के रूप में) में परिवर्तित कर स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
91- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा सेन्टर-II को ट्रामा सेन्टर लेवल-I में परिवर्तित किया जाना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105- एलोपैथी	
92- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), कानपुर के अन्तर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी (एस.एम.आर.टी.) की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00

होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलेरेटर की स्थापना

होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र, वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलेरेटर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105- एलोपैथी

93- होमी भाभा कैंसर अस्पताल और महामना पण्डित मदन मोहन मालवीयच कैंसर केंद्र वाराणसी में 01 नग लीनियर एक्सेलेरेटर की स्थापना

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

4000.00

अनुदान संख्या 032
चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

अयोध्या में 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण

अयोध्या में 500 शैय्यायुक्त (400 शैय्या सामान्य एवं 100 शैय्या ट्रामा सेन्टर) चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 7035.44 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 7035.44 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें

110- अस्पताल तथा औषधालय

05- अयोध्या में 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

7035.44

जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण

जनपद लखनऊ में निशातगंज पुलिस चौकी के सामने स्थित ट्रांजिट हास्टल परिसर में 03 नग महानिदेशक आवास एवं 16 नग अधिकारी आवास का भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

03- जनपद लखनऊ में अधिकारी आवास का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 033

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों की स्थापना

आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों के निर्माण एवं 16 नये कार्यालयों की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 19.00 हजार की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 19.00 हजार की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
101- आयुर्वेद	
07- क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालय	
01-वेतन	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.01
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.01
13-टेलीफोन पर व्यय	0.01
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.01
42-अन्य व्यय	0.01
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
49-चिकित्सा व्यय	0.01
55-मकान किराया भत्ता	0.01
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.01
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01
	0.19
योग -	

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं वाराणसी में पंचकर्म प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं वाराणसी में पंचकर्म प्रशिक्षुओं हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 21.00 हजार की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 21.00 हजार की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
101- आयुर्वेद	
11- राजकीय पंचकर्म तकनीशियन प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश	
01-वेतन	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.01
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.02
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.01
39-औषधि तथा रसायन	0.01
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.01
42-अन्य व्यय	0.01
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
49-चिकित्सा व्यय	0.01
55-मकान किराया भत्ता	0.01
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.01
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01
	0.21
योग -	

आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं नये चिकित्सालयों की स्थापना

आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं 20 नये चिकित्सालयों की स्थापना के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 हजार की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 हजार की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति	
101- आयुर्वेद	
03- ग्रामीण चिकित्सालय	
01-वेतन	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	0.01
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.01
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	0.01
39-औषधि तथा रसायन	0.01
40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.01
42-अन्य व्यय	0.01
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
49-चिकित्सा व्यय	0.01
55-मकान किराया भत्ता	0.01
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.01
59-एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज	0.01
	0.20
योग -	0.20

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ / प्रयागराज में अनुसंधान उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना

राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में गठित उपचार एवं शोध केन्द्र के स्थान पर नाम परिवर्तित करते हुये संस्था राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में अनुसंधान उपचार एवं शोध केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 105.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 105.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
103- यूनानी	
05- राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ/प्रयागराज में अनुसंधान उपचार एवं शोध केन्द्र	
01-वेतन	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
08-कार्यालय व्यय	3.80
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.50
39-औषधि तथा रसायन	23.00
42-अन्य व्यय	54.67
43-सामग्री एवं सम्पत्ति	3.00
55-मकान किराया भत्ता	0.01
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3.00
	105.00
योग -	105.00

आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं नये चिकित्सालयों की स्थापना

आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों के निर्माण एवं 20 नये चिकित्सालयों की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
110- अस्पताल तथा औषधालय	
06- आयुर्वेद विभाग में ग्रामीण चिकित्सालयों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00

यूनानी विभाग में लघु निर्माण कार्य

यूनानी विभाग में प्रदेश के शहरी / ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को यूनानी पद्धति की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लघु निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
04- यूनानी विभाग में लघु निर्माण कार्य	
25-लघु निर्माण कार्य	100.00

आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों का निर्माण

आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों के निर्माण एवं 16 नये कार्यालयों की स्थापना के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
05- आयुर्वेद विभाग में क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी कार्यालयों का निर्माण	
24-बृहत् निर्माण कार्य	300.00

महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया जाना

आयुर्वेद विभाग में एन.सी.आई.एस.एम. मानक के अनुसार महाविद्यालय एवं चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
06- आयुर्वेद विभाग में उपकरण आदि का क्रय	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	100.00

आयुष चिकित्सालयों के लिए भूमि क्रय

आयुर्वेद विभाग में आयुष चिकित्सालयों को ब्लाकवार स्थापित करने के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

08- आयुर्वेद विभाग में चिकित्सालयों की स्थापना

60-भूमि क्रय

20.00

अनुदान संख्या 034

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत 18 मण्डलों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालयों की स्थापना

होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत 18 मण्डलों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 99.11 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 99.11 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
102- होम्योपैथी	
03- निदेशन तथा प्रशासन	
0301- होम्योपैथी निदेशालय	
01-वेतन	0.01
02-मजदूरी	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
07-मानदेय	0.01
08-कार्यालय व्यय	18.00
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	9.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	36.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.01
42-अन्य व्यय	9.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	18.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	9.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.02
	99.11
योग -	

होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों की स्थापना

होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 281.36 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 281.36 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	
02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां	
102- होम्योपैथी	
03- निदेशन तथा प्रशासन	
0301- होम्योपैथी निदेशालय	
01-वेतन	0.01
02-मजदूरी	0.01
03-मंहगाई भत्ता	0.01
04-यात्रा व्यय	0.01
06-अन्य भत्ते	0.01
07-मानदेय	0.01
08-कार्यालय व्यय	37.50
09-विद्युत देय	0.01
10-जलकर / जल प्रभार	0.01
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	37.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	56.25
13-टेलीफोन पर व्यय	0.01
42-अन्य व्यय	37.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	75.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	37.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.02
	281.36
योग -	

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शोध कार्यों का संचालन

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में शोध सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 90.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 90.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

102- होम्योपैथी

03- शिक्षा-

0301- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज और अस्पताल

42-अन्य व्यय

90.00

अनुदान संख्या 035

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विसेज

102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विसेज के अन्तर्गत एम्बुलेन्सों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 17655.60 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 17655.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2211- परिवार कल्याण

800- अन्य व्यय

07- 102 नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस

42-अन्य व्यय

17655.60

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

मुख्य मंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) (सी.एम.-ग्रिड्स)

“मुख्य मंत्री सड़क सुधार योजना” को अधिक प्रभावी बनाते हुए उसे एक प्रोत्साहन आधारित योजना “मुख्य मंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) (सी.एम.-ग्रिड्स)” हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 800.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2217- शहरी विकास

05- अन्य शहरी विकास योजनाये

800- अन्य व्यय

11- मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम(अर्बन) (सीएम-ग्रिड्स)

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

80000.00

प्रदेश के नगरीय निकायों में नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्माण एवं विकास

नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएँ के कार्यों/परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2217- शहरी विकास

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

18- नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास परियोजनाएं

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

50000.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

नेशनल डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज एवं डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज आदि के लिए एक डेडिकेटेड एण्ड म्युचुअली एक्सेसिबल पोर्टल

नेशनल डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज एवं डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज आदि के लिए एक डेडिकेटेड एण्ड म्युचुअली एक्सेसिबल पोर्टल के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 98.12 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 98.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3454- जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
08- नेशनल डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज(एन.डी.ई) एवं डेवलपमेंटल इण्टरप्राइजेज(डी.ई.) आदि के लिए डेडिकेटेड एण्ड म्युचुअली एक्सेसिबल पोर्टल का विकास	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	95.70
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.42
	98.12
योग -	

प्रदेश की सांख्यिकीय का कार्याकल्प किया जाना

प्रदेश की सांख्यिकीय का कार्याकल्प किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 1316.15 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1316.15 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3454- जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
09- प्रदेश की सांख्यिकीय का कार्याकल्प किया जाना	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	44.25
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	56.22
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	250.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	965.68
	1316.15
योग -	

क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 450.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 450.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य	
800- अन्य व्यय	
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	45000.00

क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के वित्त पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 350.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य	
800- अन्य व्यय	
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	35000.00

त्वरित आर्थिक विकास योजना

उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से क्रियान्वित करने एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना को संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 1500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4900.00
	योग - 5400.00
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01- जलपूर्ति	
101- शहरी जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
102- ग्रामीण जल पूर्ति	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
02- मल-जल तथा सफाई	
101- शहरी सफाई सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
106- मल-जल सेवाएं	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
203- रोजगार	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
102- समाज तथा फार्म वानिकी	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- वनीकरण कार्यक्रम	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
05- संचरण तथा वितरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
06- ग्रामीण विद्युतीकरण	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10.00
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
101- पुल	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0302- नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
337- सड़क निर्माण कार्य	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	60000.00
0302- शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	40000.00
	<u>100000.00</u>
योग -	
	<u><u>150000.00</u></u>

पी.एफ.ए.डी. के डैशबोर्ड / पोर्टल का सृजन

पी.एफ.ए.डी. के डैशबोर्ड / पोर्टल के सृजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 13.34 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 13.34 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें

092- अन्य कार्यालय

11- पी.एफ.ए.डी. के डैशबोर्ड/पोर्टल का सृजन

42-अन्य व्यय

13.34

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

व्हेकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना का संचालन

व्हेकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3055- सड़क परिवहन

800- अन्य व्यय

08- व्हेकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना का संचालन

42-अन्य व्यय

300.00

परिवहन निगम के बस बेड़े का सुदृढीकरण

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढीकरण के अंतर्गत 500 बसों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन

30-निवेश/ऋण

50000.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद्

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद् हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3452- पर्यटन

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

21- उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद्

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

150.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

150.00

योग -

300.00

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद् का गठन

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद् के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

3452- पर्यटन

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

22- उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद्

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

150.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

250.00

उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ धाम विकास परिषद् का गठन

उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
3452- पर्यटन		
80- सामान्य		
800- अन्य व्यय		
23- उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद्		
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00	
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00	
		250.00
	योग -	250.00

मान्यवर कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ का संचालन

मान्यवर कांशीराम, पर्यटन प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
3452- पर्यटन		
80- सामान्य		
800- अन्य व्यय		
24- मान्यवर कांशीराम पर्यटन प्रबन्ध संस्थान		
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50.00	
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	50.00	
		100.00
	योग -	100.00

नाथ कॉरिडोर, बरेली का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण

प्रदेश के जनपद बरेली में नाथ कॉरिडोर के पर्यटकों / श्रद्धालुओं को पर्यटन अवस्थापना संबंधी सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -		(रुपये लाख में)
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय		
80- सामान्य		
104- संवर्धन तथा प्रचार		
07- नाथ कॉरिडोर, बरेली का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण		
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00	

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद् द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास

उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य विकास परिषद् द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

47- उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य विकास परिषद् द्वारा नैमिषारण्य क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

10000.00

उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास

उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00

करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

48- उत्तर प्रदेश श्री शुकतीर्थ विकास परिषद् द्वारा शुक क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या तीर्थ विकास परिषद् द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या विकास परिषद् द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये

150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

104- संवर्धन तथा प्रचार

49- उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या विकास परिषद् द्वारा अयोध्या क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

15000.00

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद् द्वारा देवीपाटन तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन विकास परिषद् द्वारा देवीपाटन तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
104- संवर्धन तथा प्रचार	
50- उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन विकास परिषद् द्वारा देवीपाटन तीर्थ क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4000.00

आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की स्थापना

आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
104- संवर्धन तथा प्रचार	
51- आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00

अनुदान संख्या 046

प्रशासनिक सुधार विभाग

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ में भवन के वाहन पार्किंग क्षेत्र में शेड की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ में भवन के वाहन पार्किंग क्षेत्र में शेड की व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 38.20 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 38.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

03- राज्य सूचना आयोग के कार्यालय भवन का निर्माण

25-लघु निर्माण कार्य

38.20

प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नया वाहन क्रय

प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नया वाहन क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

15.00

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नया वाहन क्रय किये जाने एवं विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में नया वाहन क्रय किये जाने एवं विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 16.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 16.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

04- राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

16.00

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

इंटरनेशनल ट्रेड फेयर/ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का व्यय

इंटरनेशनल ट्रेड फेयर/ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2203-	तकनीकी शिक्षा	
800-	अन्य व्यय	
04-	इंटरनेशनल ट्रेड फेयर/ग्लोबल इन्वेस्टर समिट	
42-	अन्य व्यय	50.00

प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों के भवनों/छात्रावासों/चहरदिवारी/आवासों आदि का जीर्णोद्धार

प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों के भवनों/छात्रावासों/चहरदिवारी/आवासों आदि के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	तकनीकी शिक्षा	
104-	बहुशिल्प	
12-	राजकीय पॉलीटेक्निक (पुरुष/महिला) का उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों (पुरुष/महिला) में ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना

प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों (पुरुष/महिला) में ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202-	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	तकनीकी शिक्षा	
104-	बहुशिल्प	
13-	प्रदेश की राजकीय पॉलीटेक्निकों में(पुरुष/महिला) ऑन ग्रिड रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना	
26-	मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का निर्माण

रूसा योजनान्तर्गत निर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 104.40 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 104.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
23- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा	
24-वृहत् निर्माण कार्य	104.40

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का निर्माण

रूसा योजनान्तर्गत निर्मित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
24- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में 01 लाख लीटर पानी क्षमता के ओ.एच.टी पम्प हाउस एवं बोरिंग के निर्माण

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में 01 लाख लीटर पानी क्षमता के ओ.एच.टी पम्प हाउस एवं बोरिंग के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
05- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय परिसर में ओ.एच.टी निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	60.00

अनुदान संख्या 053

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

राज्य एकीकरण परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य को देय सुविधायें

राज्य एकीकरण परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिए नामित गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता / प्रासंगिक व्यय (इन्सीडेंटल चार्जेज)/ चिकित्सा सुविधा एवं टेलीफोन सुविधा दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 1.50 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

14- राज्य एकीकरण परिषद् के गैर सरकारी सदस्य को देय सुविधाएँ

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.50

अनुदान संख्या 055
लोक निर्माण विभाग (भवन)

कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरुद्धार

कार्यालय भवनों के विस्तार एवं पुनरुद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 265.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 265.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार	
24-वृहत् निर्माण कार्य	265.00

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 415.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 415.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- निर्माण - लोक निर्माण	
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	415.00

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 650.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 650.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढीकरण के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	650.00

शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन

रुपये 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण, ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में डी.पी.आर. के गठन पर आने वाले व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
051- निर्माण	
05- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु	
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 154.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 154.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	154.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं नवसृजित जनपदों में नये निरीक्षण भवनों की स्थापना एवं कतिपय जनपदों में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूर्व निर्मित निरीक्षण भवनों के विस्तारीकरण तथा जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 27.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 27.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2700.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 368.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 368.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	368.00

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हास्टलों का विस्तार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 176.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 176.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	176.00

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 55.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 55.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	55.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय के नये निर्माण कार्य कराये जाने के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 77.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 77.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	77.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय के चालू निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 37.60 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 37.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
051- निर्माण	
30- दिव्यांगजनों का आर्थिक, सामाजिक उत्थान का कार्य(चालू कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	37.60

जनपदों में पूल आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 160.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 160.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
106- साधारण पूल आवास	
03- निर्माण - लोक निर्माण	
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल आवासों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	160.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 450.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सरकारी रिहायशी भवन	
700- अन्य आवास	
05- निर्माण-अन्य	
0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	450.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में कतिपय लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 98.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 98.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
01- सरकारी रिहायशी भवन		
700- अन्य आवास		
05- निर्माण-अन्य		
0538- राजभवन, लखनऊ		
25-लघु निर्माण कार्य	मतदेय	0.00
	भारित	98.0

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 315.16 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 315.16 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0403- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

31516.00

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 11818.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 11818.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0405- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य

11818.50

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 35455.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 35455.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

05- रेलवे उपरिगामी सेतु

0517- रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

35455.50

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 748.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 748.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

101- पुल

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

74850.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

वी.वी.आई.पी. विजिट कार्यों हेतु व्यवस्था

वी.वी.आई.पी. (महामहिम राष्ट्रपति, मा. प्रधानमंत्री, मा. राज्यपाल एवं मा. मुख्यमंत्री जी) के विभिन्न जनपदों के आगमन पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था / सभा के आयोजन के लिये बैरिकेडिंग, मंच व अन्य कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

3054- सड़क तथा सेतु	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
08- वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था	
29-अनुरक्षण	10000.00

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 570.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 570.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
03- राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य	
0306- राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	57000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 700.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 700.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एकमुश्त व्यवस्था	
1328- प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	70000.00

तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

पं. दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत समस्त तहसील / ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-

व्ययक में रुपये 30.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
13- एकमुश्त व्यवस्था	
1347- प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गों से जोड़े जाने हेतु मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढीकरण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00

शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 350.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
337- सड़क निर्माण कार्य	
85- शहरों के बाईपास/रिग रोड/फ्लाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	35000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
800- अन्य व्यय	
03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	
0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

इण्डो-नेपाल बार्डर पर कार्य

इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग पर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 230.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 230.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
07-	इण्डो नेपाल बार्डर पर पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव सम्बन्धी अनापत्ति प्राप्ति, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि से सम्बन्धित कार्य	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	23000.00

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
13-	एक मुश्त व्यवस्था	
1330-	प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था	
60-	भूमि क्रय	10000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
13-	एक मुश्त व्यवस्था	
1332-	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	100.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण

जिला योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं के लिये ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1334- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों / लघु सेतुओं का पुनर्निर्माण / चौड़ीकरण / जीर्णोद्धार / उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1335- क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

18- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण /

पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

15000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
66-	कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	60000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
86-	नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	60000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054-	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04-	जिला तथा अन्य सड़कें	
337-	सड़क निर्माण कार्य	
99-	पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	30000.00

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
800- अन्य व्यय	
04- केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य	
0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)	
24-बृहत् निर्माण कार्य	5000.00

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 14 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 14 प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / उच्चिकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
004- अनुसंधान	
04- अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चिकरण	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	100.00

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्यहास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
04- मूल्य हास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4000.00

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

5000.00

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अयोध्या, नोएडा एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह हेतु भूमि क्रय एवं निर्माण

अयोध्या, नोएडा एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह के लिये भूमि क्रय एवं निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 350.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 350.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

051- निर्माण

14- अयोध्या, नोएडा, प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह

24-वृहत् निर्माण कार्य

35000.00

आवासीय बहुमंजिला भवनों का निर्माण

लखनऊ स्थित विधायक निवास-3 (ओ.सी.आर.) परिसर में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नये आवासीय बहुमंजिला भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0505- लखनऊ स्थित विधायक निवास-3(ओ.सी.आर.) परिसर में श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नए आवासीय बहुमंजिला भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

तालकटोरा कालोनी स्थित पुराने आवासों के स्थान पर नये आवासों का निर्माण

लखनऊ स्थित तालकटोरा कालोनी के 01 से 04 ब्लॉकों के जीर्णोद्धार पुराने 144 आवासों (टाईप-1) को तोड़कर उनके स्थान पर टाईप-2 के कुल 96 आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0507- तालकटोरा कालोनी स्थित पुराने आवासों के स्थान पर नए आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

लखनऊ स्थित विभिन्न सचिवालय कालोनियों में आवासों का निर्माण

लखनऊ स्थित सचिवालय कालोनी महानगर, छन्नीलाल चौराहे के निकट टाईप-6 के नये आवासों का निर्माण, गुलिस्ता कालोनी में टाईप-5 के नये आवासों का निर्माण तथा बटलर पैलेस कालोनी में टाईप-5 के नये आवासों का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 35.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 35.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

05- निर्माण-अन्य

0509- लखनऊ स्थित विभिन्न सचिवालय कॉलोनियों में आवासों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

3500.00

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

“कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण और निर्माण” योजना

प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित वन प्रभागों एवं मुख्यालय स्थित कार्यालयों तथा शासन के साथ सूचनाओं के सुचारु आदान-प्रदान के लिए “कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण और निर्माण” योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
01- वानिकी	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
05- कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण और निर्माण	
42-अन्य व्यय	50.00

ई-गवर्नेंस योजना का संचालन

प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित वन प्रभागों एवं मुख्यालय स्थित कार्यालयों तथा शासन के साथ सूचनाओं के सुचारु आदान-प्रदान हेतु “ई- गवर्नेंस” योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 750.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 750.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीव	
01- वानिकी	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
06- ई-गवर्नेंस योजना	
02-मजदूरी	5.00
04-यात्रा व्यय	2.00
08-कार्यालय व्यय	3.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00
13-टेलीफोन पर व्यय	67.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	135.00

योग -

750.00

“फॉरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम” योजना

वनों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए “फॉरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम” के क्रियान्वयन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 295.28 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 295.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	
01 - वानिकी	
101 - वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - फॉरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.)	
02-मजदूरी	117.77
29-अनुरक्षण	38.19
42-अन्य व्यय	19.99
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.22
	योग - 177.17
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - फॉरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम	
02-मजदूरी	78.51
29-अनुरक्षण	25.47
42-अन्य व्यय	13.32
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.81
	योग - 118.11
	योग - 295.28

“फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम” योजना

वनों को आग की घटनाओं से बचाने के लिए “फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम” के क्रियान्वयन हेतु पूँजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 35.73 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 35.73 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01- वानिकी	
101- वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101- फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम(के.60/रा.40-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	21.44
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901- फॉरेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम	
24-वृहत् निर्माण कार्य	14.29
	<hr/>
योग -	35.73
	<hr/>

जनपद गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान में एक्वेरियम की स्थापना

जनपद गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान में एक्वेरियम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
111- चिड़िया घर	
03- जनपद गोरखपुर स्थित शहीद अशफाक उल्ला खॉ प्राणि उद्यान में एक्वेरियम की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	150.00
42-अन्य व्यय	350.00
	<hr/>
योग -	1500.00
	<hr/>

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग हेतु मोटर वाहनों का क्रय

अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग के प्रयोगार्थ मोटर वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

12- अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो

14-मोटर गाड़ियों का क्रय

25.00

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण देखने हेतु फाइबर ऑप्टिकल केबल तथा ग्राफिक मॉनिटर एवं कियोस्क सिस्टम की स्थापना

विधान परिषद् में कमरों में लगे टेलीविजन पर सजीव प्रसारण केबल के माध्यम से होने के कारण बाधा उत्पन्न होने के दृष्टिगत फाइबर ऑप्टिकल केबल तथा टण्डन हॉल के नवीनीकरण के उपरान्त ग्राफिक मॉनिटर एवं कियोस्क सिस्टम लगवाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 289.10 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 289.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
04- सदन की कार्यवाही का सजीव प्रसारण देखने हेतु फाइबर ऑप्टिकल केबल तथा ग्राफिक मॉनिटर एवं कियोस्क सिस्टम की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	289.10

विधान परिषद् सभा मण्डप की "हाँ व नहीं" लॉबी में अत्याधुनिक ग्राफिक मॉनिटर की स्थापना

विधान परिषद् सभा मण्डप की "हाँ व नहीं" लॉबी में अत्याधुनिक ग्राफिक मॉनिटर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 365.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 365.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
05- विधान परिषद् सभा मण्डप की "हाँ व नहीं" लॉबी में अत्याधुनिक ग्राफिक मॉनिटर (सिंगल बडी स्क्रीन) की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	365.00

विधान परिषद् की गैलरी में ग्राफिक मॉनिटर सिस्टम की स्थापना

विधान परिषद् की गैलरी में ग्राफिक मॉनिटर सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 497.96 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 497.96 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
06- विधान परिषद् की गैलरी में ग्राफिक मॉनिटर सिस्टम की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	497.96

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय कर्मचारी कल्याण संगठन (सामान्य निधि) को सहायता अनुदान

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को पुरस्कार व सम्मान आदि देकर प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारी कल्याण संगठन (सामान्य निधि) को सहायता अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 3.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 3.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	
101- विधान सभा	
05- राज्य सरकार द्वारा सहायता	
0502- कर्मचारी कल्याण संगठन को अनुदान	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3.00

मुख्य भवन विधान सभा कार्यालय कक्षों में स्थापित वातानुकूलन संयंत्र-3 में पूर्व से स्थापित चिलर पाइपलाइन एवं बल्बों के बदलाव का कार्य

मुख्य भवन विधान सभा कार्यालय कक्षों में स्थापित वातानुकूलन संयंत्र-3 में पूर्व से स्थापित चिलर पाइपलाइन एवं बल्बों के बदलाव के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 292.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 292.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	292.00

विधान भवन सचिवालय में स्थापित मा. मुख्यमंत्री आर्ट गैलरी में विजिटर ऑडियो सिस्टम, एप्लीकेशन एवं कियोस्क आदि की स्थापना

विधान भवन सचिवालय में स्थापित मा. मुख्यमंत्री आर्ट गैलरी में अबतक के समस्त मुख्यमंत्री गणों के कार्यकाल, जीवन परिचय एवं कृतित्व पर प्रकाश डाले जाने के लिये विजिटर ऑडियो सिस्टम, एप्लीकेशन एवं कियोस्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 260.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 260.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
05- विधान सभा	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	260.00

विधान सभा के “हाँ एवं ना” लाबी में सदन की कार्यवाही को सुनने हेतु ध्वनि प्रणाली सिस्टम की स्थापना तथा मा. राज्यपाल दीर्घा एवं मीडिया दीर्घा में उच्च स्तरीय साउण्ड / कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना

विधान सभा के “हाँ एवं ना” लाबी में सदन की कार्यवाही को सुनने हेतु ध्वनि प्रणाली सिस्टम की स्थापना तथा मा. राज्यपाल दीर्घा एवं मीडिया दीर्घा में उच्च स्तरीय साउण्ड / कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 475.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 475.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
05- विधान सभा	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	475.00

विधान सभा की कार्यवाही के डिजीटाइजेशन में प्रयुक्त **MULTILINGUAL INTELLIGENT SEARCH SOLUTION** साफ्टवेयर को उसके बेस एप्लीकेशन साफ्टवेयर व डेटा सेंटर में स्थापित सर्वर के नये वर्जन के अनुरूप तकनीकी रूप से नवीनीकृत कराया जाना

विधान सभा की कार्यवाही के डिजीटाइजेशन में प्रयुक्त **MULTILINGUAL INTELLIGENT SEARCH SOLUTION** साफ्टवेयर को उसके बेस एप्लीकेशन साफ्टवेयर व डेटा सेंटर में स्थापित सर्वर के नये वर्जन के अनुरूप तकनीकी रूप से नवीनीकृत कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 498.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 498.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
06- सदन की कार्यवाही की रिकार्डिंग एवं आर्काइविंग हेतु डिजिटल लाइब्रेरी	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	498.00

अनुदान संख्या 069
व्यावसायिक शिक्षा विभाग

69 आई.टी.आई. का उन्नयन

आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार नये लांग टर्म एवं शार्ट टर्म फोर्सज में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 69 आई.टी.आई. के उन्नयन के लिये राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 534.75 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 534.75 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास	
03- प्रशिक्षण	
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	
06- प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) का उन्नयन	
42-अन्य व्यय	53475.00

वर्ष 2024 में होने वाली “अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो” में सुरुचिपूर्ण एवं आकर्षण विभागीय स्टॉल लगाया जाना

वर्ष 2024 में होने वाली “अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो” के सफल आयोजन के लिये सेक्टर के उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा विभागीय स्टॉल को सुचारूपूर्ण एवं आकर्षक तरीके से लगाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास	
03- प्रशिक्षण	
800- अन्य व्यय	
05- अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो	
42-अन्य व्यय	50.00

प्रदेश में दो मेगा राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना

प्रदेश में दो मेगा राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
203- रोजगार	
08- प्रदेश में दो मेगा राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

69 आई.टी.आई. का उन्नयन

आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार नये लांग टर्म एवं शार्ट टर्म फोर्सिज में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत 69 आई.टी.आई. के उन्नयन के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 284.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 284.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203- रोजगार

09- 69 आई.टी.आई. का उन्नयन

24-वृहत् निर्माण कार्य

28400.00

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को दक्ष बनाने के लिए शोध एवं विकास कार्य

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत का विकास एवं बढ़ावा देने के लिए अक्षय उर्जा संयंत्रों को दक्ष बनाने के लिए शोध एवं विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2810- नये और नवीनीकृत ऊर्जा

02- सौर

101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

03- विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

0305- अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को दक्ष बनाने के लिए शोध एवं विकास कार्य

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

अनुदान संख्या 071
शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

निपुण भारत चैम्पियन पुरस्कार

निपुण भारत चैम्पियन पुरस्कार हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

06- निपुण भारत चैम्पियन पुरस्कार

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, गोरखपुर का संचालन

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, गोरखपुर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

02- माध्यमिक शिक्षा

800- अन्य व्यय

29- उ.प्र. सैनिक स्कूल, गोरखपुर

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

400.00

नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर) (100 बेडड छात्रावास सहित) की स्थापना

नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर) (100 बेडड छात्रावास सहित) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

33- नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) एवं 05 नवीन राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय (उत्तर मध्यमा स्तर तक) (100 बेडड छात्रावास सहित)

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

राजकीय इण्टर कॉलेजों एवं राज्य क्रीडा संस्था, फैजाबाद की खेल सुविधाओं का सुदृढीकरण

राजकीय इण्टर कॉलेजों एवं राज्य क्रीडा संस्था, फैजाबाद की खेल सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

34- राजकीय इण्टर कॉलेजों की खेल सुविधाओं का सुदृढीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

राजकीय संस्कृत विद्यालय (छात्रावास तथा मिनी स्टेडियम का निर्माण)

राजकीय संस्कृत विद्यालय (छात्रावास तथा मिनी स्टेडियम का निर्माण) हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.46 करोड की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.46 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

202- माध्यमिक शिक्षा

35- राजकीय संस्कृत विद्यालय (छात्रावास तथा मिनी स्टेडियम का निर्माण)

24-बृहत् निर्माण कार्य

1046.00

अत्याधुनिक डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना

प्रदेश के समस्त जनपदों में एक अत्याधुनिक डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 60.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 60.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

800- अन्य व्यय

07- अत्याधुनिक डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

6000.00

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना

माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 120.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

102- विश्वविद्यालयों को सहायता

15- माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय, बलरामपुर

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

20.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

120.00

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 120.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

102- विश्वविद्यालयों को सहायता

30- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

20.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

100.00

योग -

120.00

माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर की स्थापना

माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 120.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 120.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
102- विश्वविद्यालयों को सहायता	
31- माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मीरजापुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	100.00
	120.00
योग -	120.00

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट मॉनीटरिंग इवैल्युएशन एण्ड रिसर्च

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट मॉनीटरिंग इवैल्युएशन एण्ड रिसर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 620.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 620.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0121- प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) योजनान्तर्गत मैनेजमेन्ट मॉनीटरिंग इवैल्युएशन एण्ड रिसर्च	
(के.60/रा.40-के.)	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	620.00

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के मुख्यालय भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
800- अन्य व्यय	
07- उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्ड्स)

मण्डलीय होमगार्ड्स कार्यालय एवं जिला होमगार्ड्स कार्यालय के भवन का निर्माण

04 जिला होमगार्ड्स कार्यालयों के प्रथम तल पर मण्डलीय होमगार्ड्स कार्यालय के भवन निर्माण एवं 08 जनपदीय इकाईयों में जिला होमगार्ड्स कार्यालय के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
04- अनावासीय भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2000.00

होमगार्ड्स विभाग के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण

होमगार्ड्स विभाग के 03 मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
08- मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों के भवनों का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 54.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 54.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

04- राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा

42-अन्य व्यय

54.00

राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी के मुख्य भवन, छात्रावास, ऑडिटोरियम, म्यूजियम का निर्माण

राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी के मुख्य भवन, छात्रावास, ऑडिटोरियम, म्यूजियम के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

201- प्रारम्भिक शिक्षा -

03- राज्य हिन्दी संस्थान, वाराणसी

24-वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

अनुदान संख्या 078
सचिवालय प्रशासन विभाग

मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष

गम्भीर रूप से पीड़ित तथा आपदा से ग्रसित लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की सीमा में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 311.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 311.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
2013- मंत्रि परिषद्	
105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
03- मुख्य मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	
42-अन्य व्यय	31100.00

संसदीय कार्य विभाग में नये वाहन का क्रय

संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के उपयोगार्थ एक नए वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -	(रुपये लाख में)
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- सचिवालय-	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	20.00

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

नवीन सामेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

कक्षा - 6 से 12 तक के विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित छात्र - छात्राओं तथा सामान्य छात्र-छात्राओं हेतु प्रदेश के आठ महत्वाकांक्षी जनपदों - बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र एवं फतेहपुर में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
05- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00

बचपन डे केयर सेन्टर

जनपद गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा वाराणसी में 03 - 07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित तथा मानसिक मन्दित छात्रों के शिक्षण - प्रशिक्षण हेतु संचालित "बचपन डे केयर सेन्टर्स" के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
18- बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक- 3 का निर्माण

डा. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक अतिरिक्त एकेडमिक ब्लॉक- 3 के निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
02- समाज कल्याण	
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
23- डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ	
2303- अतिरिक्त एकेडेमिक ब्लॉक-3	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

अनुदान संख्या 080

समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शांतिपूर्वक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक ढंग से जीवन-यापन कराने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर "वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02- समाज कल्याण

104- वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण

07- वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

500.00

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन)

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन) के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के असेवित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 130.28 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 130.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा	
01- प्रारम्भिक शिक्षा	
796- जनजातीय उपयोजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0127- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन) (के.60/रा.40-के.)	
61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	78.17
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8927- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन)	
61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	52.11
	130.28
योग -	130.28

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन)

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. जनमन) के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के असेवित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 636.75 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 636.75 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0127- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन) (के.60/रा.40-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	382.05
89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8927- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	254.70
	636.75
योग -	636.75

इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का भवन निर्माण

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती की निर्माणाधीन भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 188.60 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 188.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 02- तकनीकी शिक्षा
 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
 03- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती का निर्माण
 24-वृहत् निर्माण कार्य

188.60

इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का भवन निर्माण

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा) के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा की निर्माणाधीन भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 190.31 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 190.31 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 02- तकनीकी शिक्षा
 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
 04- राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, गोण्डा का निर्माण
 24-वृहत् निर्माण कार्य

190.31

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

- 4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 01- जलपूर्ति
 796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना
 03- जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिये सामुदायिक अंशदान
 42-अन्य व्यय

1200.00

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम.-जनमन) योजना

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम.-जनमन) योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर में बोक्सा जनजाति के पात्र लाभार्थियों का आवास निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 290.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 290.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

03- ग्रामीण आवास

796- जनजातीय क्षेत्र उपयोग

01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0103- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन) (के.60/रा.40-के.)

24-वृहत् निर्माण कार्य

174.00

89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पी.एम. - जनमन)

24-वृहत् निर्माण कार्य

116.00

योग -

290.00

अनुदान संख्या 082

सतर्कता विभाग

लोकायुक्त प्रशासन के कार्यालय भवन के निर्माण कार्य

लोकायुक्त प्रशासन के कार्यालय भवन में अतिरिक्त तलों एवं गेस्ट हाउस के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

06- लोकायुक्त प्रशासन के कार्यालय भवन में निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती का भवन निर्माण

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा) के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती की निर्माणाधीन भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 239.30 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 239.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
12- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बस्ती	
24-वृहत् निर्माण कार्य	239.30

इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का भवन निर्माण

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रसा) के अन्तर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा की निर्माणाधीन भवन हेतु राज्य सरकार द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 286.72 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 286.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
14- राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, गोण्डा का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	286.72

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 360.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 360.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01- जलपूर्ति	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
06- जलजीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान	
42-अन्य व्यय	36000.00

पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाएं

पूर्वांचल क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 125.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02- पिछड़े क्षेत्र	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें	
24-वृहत् निर्माण कार्य	12500.00

बुंदेलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएं

बुंदेलखण्ड क्षेत्र के विकास की विशेष योजनाओं के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02- पिछड़े क्षेत्र	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7500.00

राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नए कार्य

राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नए कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 18843.76 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 18843.76 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	18843.76

राज्य राज्यमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्य

राज्य राज्यमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15344.21 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15344.21 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
03- राज्य राजमार्ग	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15344.21

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 3181.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 3181.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04- सेतु निर्माण	
0405- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3181.50

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 9544.50 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 9544.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
19- रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्य के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9544.50

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 84.84 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 84.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	
04- जिला तथा अन्य सड़कें	
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8484.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 201.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 201.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

21- नाबार्ड पोषित आर 0 आई 0 डी 0 एफ 0 के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

20150.00

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

ग्रामीण क्षेत्रों में पौराणिक / धार्मिक मेलों का आयोजन

पर्यटन विकास को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पौराणिक एवं धार्मिक मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

101- धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान

14- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पौराणिक/धार्मिक मेलों का आयोजन

42-अन्य व्यय

500.00

प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों हेतु अनुदान

प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों के लिये अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

101- धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान

15- प्रदेश से जाने वाले सिन्धु दर्शन यात्रियों के लिये अनुदान

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

10.00

मथुरा वृंदावन कॉरीडोर का निर्माण

जनपद मथुरा – वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के आस – पास स्थित भूमि का अधिग्रहण करते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु कॉरीडोर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

15- श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा - वृंदावन कॉरीडोर का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

60-भूमि क्रय

10000.00

योग -

15000.00

विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण व सुदृढीकरण

धार्मिक स्थलों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण व सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

16- प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों के धार्मिक स्थलों के संरक्षण व सुदृढीकरण का कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य

100.00

धर्मार्थ कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि का क्रय / अधिग्रहण

धर्मार्थ कार्य विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु भूमि के क्रय / अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

17- धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु

60-भूमि क्रय

100.00

प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ एवं धार्मिक स्थलों पर जनसुविधाओं एवं पार्किंग का विकास

प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ एवं धार्मिक स्थलों पर जनसुविधाओं एवं पार्किंग के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

18- प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों/धार्मिक स्थानों पर पब्लिक एम्निटीज एवं पार्किंग का विकास

24-वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

अनुदान संख्या 089

राज्य कर विभाग

जनपद हमीरपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद हमीरपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1301- जनपद हमीरपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

जनपद महोबा में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद महोबा में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 450.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 450.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1302- जनपद महोबा में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

450.00

जनपद गाजीपुर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद गाजीपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 650.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 650.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1303- जनपद गाजीपुर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

650.00

जनपद बिजनौर में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद बिजनौर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 18.50 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 18.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1304- जनपद बिजनौर में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1850.00

जनपद भदोही में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 550.00 लाख की आवश्यकता है |

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 550.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1305- जनपद भदोही में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

550.00

जनपद एटा में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद एटा में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 360.00 लाख की आवश्यकता है |

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 360.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051- निर्माण

13- क्षेत्रीय कार्यालय

1306- जनपद एटा में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

360.00

जनपद कासगंज में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद कासगंज में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
13- क्षेत्रीय कार्यालय	
1307- जनपद कासगंज में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	250.00

जनपद अमेठी में राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद अमेठी में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
13- क्षेत्रीय कार्यालय	
1308- जनपद अमेठी में मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

राज्य कर कार्यालय भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना

राज्य कर विभाग के 44 विभागीय कार्यालय भवनों पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 250.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
13- क्षेत्रीय कार्यालय	
1310- राज्य कर कार्यालय भवनों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	250.00

जनपद कुशीनगर में विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण

जनपद कुशीनगर में विभागीय अधिकारी / कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 175.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 175.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

07- जनपद कुशीनगर में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

175.00

जनपद देवरिया में राज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण

जनपद देवरिया में राज्य कर विभाग के विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01- सरकारी रिहायशी भवन

700- अन्य आवास

08- जनपद देवरिया में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य

500.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

संग्रहालयों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण

उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के नियंत्रणाधीन 14 संग्रहालयों को विश्व स्तरीय मापदण्डों के अनुरूप उच्चीकृत किये जाने के लिए राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

001- निदेशन तथा प्रशासन

03- संस्कृति निदेशालय

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

100.00

अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या

पूर्व संचालित शोध संस्थान का नाम परिवर्तित कर अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 146.46 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 146.46 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

101- ललित कला शिक्षा

27- अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

146.46

संत कबीर अकादमी

पूर्व संचालित कबीर अकादमी का नाम परिवर्तित कर संत कबीर अकादमी किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 258.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 258.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन

07- कबीर अकादमी की स्थापना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

200.00

31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

58.00

योग -

258.00

रेडियो जयघोष

प्रदेश के युवाओं को प्रदेश की कला तथा संस्कृति से जोड़ते हुए सांस्कृतिक परम्परा को समृद्ध किये जाने के उद्देश्य से "रेडियो जयघोष" पर देश एवं प्रदेश की कला संस्कृति, लोक कला एवं राष्ट्रीय भावना पर आधारित कार्यक्रम तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00

लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
08- रेडियो जयघोष	
42-अन्य व्यय	100.00

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्थल

पण्डित दीन दयाल उपाध्याय स्मृति स्थल के रख - रखाव एवं संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
10- जनपद चंदौली में पं. दीनदयाल स्मृति स्थल का संचालन एवं रख-रखाव	
29-अनुरक्षण	25.00

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल आगरा का संचालन एवं रख - रखाव

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल आगरा के संचालन एवं रख - रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
11- भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल का संचालन एवं रख-रखाव	
29-अनुरक्षण	50.00

प्रेक्षागृहों का संचालन एवं अनुरक्षण

संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में निर्मित कराये गये प्रेक्षागृहों का संचालन एवं अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
12- संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में निर्मित कराये गये प्रेक्षागृहों का संचालन एवं अनुरक्षण	
29-अनुरक्षण	100.00

राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, अनुरक्षण एवं स्थलीय विकास किये जाने हेतु विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है । तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

103- पुरातत्व विज्ञान

03- पुरातत्व निदेशालय

16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

25.00

कजरी महोत्सव का आयोजन

जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर घराने एवं अन्य स्थलों की संगीत धरोहर व पारम्परिक विधा को संरक्षित एवं संवर्धित एवं प्रचार – प्रसार करने के उद्देश्य से हरिहरपुर एवं अन्य स्थलों पर कजरी महोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

06- हरिहरपुर एवं अन्य स्थलों पर कजरी महोत्सव

42-अन्य व्यय

100.00

उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध संगीत गुरुओं के नाम पर समारोह

उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध संगीत गुरुओं के नाम पर समारोह के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

07- उत्तर प्रदेश के प्राचीन कलाकारों के नाम पर समारोह

42-अन्य व्यय

200.00

आजादी का अमृतकाल महोत्सव

आजादी का अमृतकाल महोत्सव हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

13- आजादी का अमृत काल महोत्सव

42-अन्य व्यय

1000.00

महाकुम्भ - 2025

प्रयागराज में वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले महाकुम्भ में संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

14- महाकुंभ-2025

42-अन्य व्यय

10000.00

उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024 – 2025

“भारत पर्व – हमारी संस्कृति : हमारी पहचान” योजनान्तर्गत “उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024 – 2025” के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

25- उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 2024-25

42-अन्य व्यय

500.00

उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो

वित्तीय वर्ष 2024 – 2025 में उत्तर प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो में संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिभाग किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति

800- अन्य व्यय

26- उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो

42-अन्य व्यय

150.00

संग्रहालयों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण

उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय के नियंत्रणाधीन 14 संग्रहालयों को विश्व स्तरीय मापदण्डों के अनुरूप उच्चीकृत किये जाने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

04- कला तथा संस्कृति

106- संग्रहालय

15- संग्रहालयों का सुदृढीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य

1500.00

जनपद बिजनौर में पुस्तकालय एवं प्रेक्षागृह से युक्त संग्रहालय की स्थापना

19 वीं सदी के विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार एवं हिन्दी कवि के अद्भुत रचयिता स्व. श्री दुष्यंत कुमार जी की स्मृति में उनके पैतृक ग्राम राजपुर नवादा, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर में उनके आवास को पुस्तकालय एवं ऑडिटोरियम से युक्त संग्रहालय का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
106- संग्रहालय	
56- स्व. श्री दुष्यंत कुमार के पैतृक निवास को पुस्तकालय एवं ऑडिटोरियम से युक्त संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय की स्थापना

उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय कर, स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
19- उत्तर प्रदेश संस्कृति संग्रहालय	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00

सरकारी / अर्द्ध सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना

सरकारी / अर्द्ध सरकारी भवनों पर रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04- कला तथा संस्कृति	
800- अन्य व्यय	
38- सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों पर सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	500.00

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

जलजीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 828.00 करोड़ की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 828.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01- जलपूर्ति

102- ग्रामीण जल पूर्ति

04- जलजीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिये सामुदायिक अंशदान

42-अन्य व्यय

82800.00

अनुदान संख्या 094
सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 3186.89 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 3186.89 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई		
22- सिंजार बांध एवं नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		29.22
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		29.22
	योग -	58.44
23- लखेरी बांध एवं नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		64.23
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		64.22
	योग -	128.45
80- सामान्य		
800- अन्य व्यय		
06- निर्दिष्ट बांधों के (बांध/बैराज/बंधी/वियर/लेक) आपरेशन मेन्टीनेन्स		
29-अनुरक्षण		3000.00
	कुल योग -	3186.89

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 2689.52 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 2689.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2701- मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	
75- बड़ा गांव पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
101- रख-रखाव और मरम्मत	
03- अन्य रख रखाव व्यय	
0304- सिल्ट सफाई	
29-अनुरक्षण	18.88
77- आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)	
101- रख-रखाव और मरम्मत	
11- बाणसागर सखौरा कॉलोनी जनपद मिर्जापुर में स्थित आवासीय एवं अनावासीय भवन	
29-अनुरक्षण	74.61
12- सिंचाई कॉलोनी गोविंदपुर एवं सप्रू मार्ग सिविल लाईन प्रयागराज	
29-अनुरक्षण	150.07
	224.68
	योग -
80- सामान्य	
800- अन्य व्यय	
10- निर्दिष्ट बांधों के (बांध/बैराज/बंधी/वियर/लेक) ऑपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स	
29-अनुरक्षण	2000.00
89- बण्डई बांध एवं नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
101- रख-रखाव एवं मरम्मत	
03- अन्य रख रखाव व्यय	
0301- अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	84.66
0302- मरम्मत कार्य	
29-अनुरक्षण	84.65
	169.31
	योग -
90- उटारी बांध एवं नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
101- रख-रखाव एवं मरम्मत	
03- अन्य रख-रखाव व्यय	
0301- अनुरक्षण कार्य	
29-अनुरक्षण	45.00
0302- विशेष मरम्मत	
29-अनुरक्षण	45.00
0304- सिल्ट सफाई	
29-अनुरक्षण	17.92
	107.92
	योग -

91- मगरवारा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण		
29-अनुरक्षण		1.92
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		1.92
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		1.48
	योग -	<u>5.32</u>
92- तैदौल नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		1.36
93- अरजार नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		6.45
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		6.45
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		4.95
	योग -	<u>17.85</u>
94- मगरपुर नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		1.93
0302- विशेष मरम्मत		
29-अनुरक्षण		1.93
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		1.48
	योग -	<u>5.34</u>
95- कचनेव नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0301- अनुरक्षण कार्य		

29-अनुरक्षण		1.39
0302- अनुरक्षण कार्य		
29-अनुरक्षण		1.39
0304- सिल्ट सफाई		
29-अनुरक्षण		1.07
	योग -	<u>3.85</u>
96- विभिन्न अनुरक्षण / मरम्मत के कार्य		
101- रख-रखाव एवं मरम्मत		
03- अन्य रख-रखाव व्यय		
0303- यांत्रिक कार्य		
29-अनुरक्षण		135.01
	कुल योग -	<u>2689.52</u>

लघु सिंचाई की परियोजनायें

लघु सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारु रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 290.30 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 290.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई		
80- सामान्य		
800- अन्य व्यय		
13- निर्दिष्ट बांधों के (बांध/बैराज/बंधी/वियर/लेक) आपरेशन एण्ड मेन्टीनेन्स		
29-अनुरक्षण		290.30

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 215719.81 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 215719.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	13139.46
05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1007- लाइनिंग	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10000.00
	योग - 11000.00
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8300.00
17- आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नीव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के 1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7500.00
60-भूमि क्रय	7421.25
	योग - 14921.25
	योग - 23221.25
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	

24-वृहत् निर्माण कार्य	9233.05
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	22500.00
10- केन बेतवा लिक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- सम्बद्ध कार्य	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1350.00
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	52500.00
योग -	<u>53850.00</u>
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	9500.00
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरे	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7088.17
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1340.00
60-भूमि क्रय	500.00
योग -	<u>1840.00</u>
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2465.70
योग -	<u>3465.70</u>

21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	10157.84
22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3237.26
32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
97- बाह्य सहायतित योजनायें	
9703- डैम रिहैबिलीटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विश्व बैंक : 30 राज्य)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15487.08
36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	11000.00
97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00
	<hr/>
कुल योग -	215719.81
	<hr/>

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 52131.81 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 52131.81 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2641.98
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरे	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
07- केन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1253.41
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1660.50
	योग -
	2913.91
08- दोहरी घाट पम्प नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4644.72
10- चन्द्रप्रभा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
051- नहरें	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1250.00
13- बानगंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	372.06
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00

	योग -	5372.06
15- रोहिल खण्ड नहरें (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		219.13
17- गुरूसराय नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		100.00
19- धसान नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1006- पुनर्स्थापना		
24-वृहत् निर्माण कार्य		900.00
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		703.20
	योग -	1603.20
21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1006- पुनर्स्थापना		
24-वृहत् निर्माण कार्य		700.00
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1104.69
	योग -	1804.69
26- टोन्स पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		546.33
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1007- लाइनिंग		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1000.00
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		480.00

	योग -	1480.00
28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1696.18
29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1682.90
31- सुरहाताल पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		124.06
32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1500.00
33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		990.00
1015- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		338.19
	योग -	1328.19
39- कबरई बांध / नहरें (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
05- बांध		
0514- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		36.75
60-भूमि क्रय		10000.00
	योग -	10036.75
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		3326.51

45- शहजाद बांध / नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	201.31
55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	832.08
59- मौदहा बांध / नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1834.21
60- पहुंज बांध परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	352.12
75- जनपद (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1015- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	728.43
87- सूचना तकनीक के विकास की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	197.00
93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
05- बांध	
0514- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
07- बैराज	
0714- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3516.05
16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

	योग -	<u>4616.05</u>
97- नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		<u>500.00</u>
	कुल योग -	<u>52131.81</u>

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 73269.72 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 73269.72 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01- बाढ़ नियंत्रण	
052- मशीनरी तथा उपस्कर	
05- गाड़ी भाड़ा	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2000.00
103- सिविल निर्माण कार्य	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
0103- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6669.01
06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें	
0605- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7000.00
08- तट बंधों का निर्माण	
0840- तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	1929.44
60-भूमि क्रय	100.00
	2029.44
	योग -
0841- सड़क निर्माण एवं मरम्मत की परियोजना व अन्य (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3749.86
09- कटाव निरोधक योजनायें	
0984- नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2235.51
60-भूमि क्रय	50.00
	2285.51
	योग -
0985- नदियों के व्यवहार एवं सिल्ट के संबंध में शोध की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
0986- परियोजनाओं के वास्तविक समय आधारित प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
0987- नदी एवं जल संबंधित आंकड़ों का वास्तविक संकलन, प्रेषण एवं आंकलन की परियोजनाएं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य	

24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00	
10- तटबंधों का निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चिकरण एवं कटाव निरोधक कार्यो की परियोजनाएं व अन्य (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00	
23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य	40197.11	
25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान		
24-वृहत् निर्माण कार्य	1500.00	
		योग -
		<u>63830.93</u>
03- जल निकास		
103- सिविल निर्माण कार्य		
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)		
0305- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)		
24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00	
07- जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य	7338.79	
		योग -
		<u>7438.79</u>
		<u>73269.72</u>
		कुल योग -
		<u>73269.72</u>

अनुदान संख्या 095
सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग

उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 938.20 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 938.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई	
80- सामान्य	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन और नियामक आयोग	
01-वेतन	300.00
03-मंहगाई भत्ता	165.00
04-यात्रा व्यय	5.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00
06-अन्य भत्ते	10.00
08-कार्यालय व्यय	5.00
09-विद्युत देय	10.00
10-जलकर / जल प्रभार	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10.00
18-प्रकाशन	6.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	6.00
42-अन्य व्यय	156.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	6.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	40.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8.00
49-चिकित्सा व्यय	8.00
51-वर्दी व्यय	0.10
55-मकान किराया भत्ता	15.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10.00

योग -

938.20

राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विज्ञेषण केन्द्र

राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विज्ञेषण केन्द्र हेतु वित्तीय वर्ष 2024-2025 में रुपये 531.10 लाख की आवश्यकता है | तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में रुपये 531.10 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन -

(रुपये लाख में)

2700- मुख्य सिंचाई	
80- सामान्य	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
04- राज्य संसाधन जल अभिकरण एवं राज्य जल संसाधन ऑकडा तथा विज्ञेषण केन्द्र	
01-वेतन	150.00
02-मजदूरी	0.01
03-मंहगाई भत्ता	186.95
04-यात्रा व्यय	1.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00
06-अन्य भत्ते	0.54
08-कार्यालय व्यय	5.00
09-विद्युत देय	18.00
10-जलकर / जल प्रभार	0.10
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	20.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	30.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10.00
18-प्रकाशन	5.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00
29-अनुरक्षण	8.00
42-अन्य व्यय	2.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00
49-चिकित्सा व्यय	5.00
51-वर्दी व्यय	0.10
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	19.40
55-मकान किराया भत्ता	15.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	35.00

योग -

531.10